उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बीकानेर

31 वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 26 सितम्बर 2017

अध्यक्ष
रेवन्तराम सियाग

प्रबन्ध संचालक
डॉ. सुनील चौपड़ा
दूरभाष : 2225500 (का.)

2015–16
अंकेक्षक :
एस.बी. बागड़ी एण्ड कम्पनी, बीकानेर

2016–17
अंकेक्षक :
अभिषेक शर्मा एण्ड कम्पनी, जयपुर

पंजीकृत कार्यालय :
श्री गंगानगर रोड़, बीकानेर – 334002
तार : उरमूल फैक्स : 0151–2225556
ई–मेल : rcdfbik1.jp1@gmail.com
bikmu-rj@nic.in

आंतरिक अंकेक्षण :

माथुर एण्ड कम्पनी, जयपुर (30.6.17 तक)
के.ए. एण्ड कम्पनी, जयपुर (1.7.17 से 30.6.18)

	अवशीतन केन्द्र	प्रभारी	मो.नं.
1	छतरगढ	डॉ. धरमवीर बिश्नोई	9461012120
2	खाजूवाला	रामजस जाखड़	9587812578
3	बज्जू	गया प्रसाद	7615908209
4	लूणकरनसर	तोलाराम	9460923247
5	श्रीडूंगरगढ़	टीकूराम	9414528582
	विपणन प्रभारी	डॉ. भारती उपनेजा	0151–2225507

परामर्शदाता : **डॉ. सुनील चौपड़ा**
प्रधान सम्पादक : **डॉ. ए. एन. कुरैशी**
सम्पादक : **महेश जोशी**
: **हरनाथ सिंह राठौड़**
सम्पादन सहयोग : **नेमीचन्द खत्री**
: **सलीम भाटी**
: **लीलाधर**

आवरण : कल्पना : **डॉ. कानाराम गोदारा**
: निर्माण : **अमित कुमार मोदी**
कम्प्यूटर डिजाईनिंग : **मनीष कुमार**
मुद्रक : **मनीष प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स**
व्यापारियों का मौहल्ला, बीकानेर
टेली. : 0151–2522957
मोबाइल : 9414138557

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	सन्देश	
2	अध्यक्षीय उद्‌बोधन	
3	आमसभा की सूचना	3
4	प्रतिलिपि प्रस्ताव	4
5	गत आमसभा की अनुपालना की पुष्टि	5
6	वित्तीय वर्ष 2016–17 के अंतिम लेखों के अनुमोदन पर विचार	9
7	संघ के वर्ष 2016–17 में वार्षिक खर्च एवं स्वीकृत बजट से अधिक हुए खर्चो के अनुमोदन पर विचार	10
8	वित्तीय बजट 2017–18	11
9	भौतिक विवरण वर्ष 2017–18	14
10	पूंजीगत बजट वर्ष 2017–18	15
11	ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट 2015–2016	17
12	ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट 2016–2017	67
13	अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के खर्चो के अनुमोदन पर विचार 2016–17	120
14	वैधानिक अंकेक्षक वर्ष 2017–2018 की नियुक्ति पर विचार	120
15	आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति व पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार	121
16	विज्ञापन	121
17	वार्षिक कार्य योजना 2017–18	138

सरस उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बीकानेर

श्रीगंगानगर रोड़, बीकानेर

(An ISO 22000 : 2005 Certified Organisation)

FSSAI No.: 10012013000275

क्रमांक : उरमूल/आमसभा (31)/2017/9146 दिनांक 07.09.2017

आमसभा की सूचना

श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

.....

समस्त सदस्य दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि.,

तहसील–बीकानेर/लूणकरणसर/कोलायत/नोखा/श्रीडूंगरगढ़/खाजूवाला/छतरगढ़/पूगल

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संघ की 31 वीं वार्षिक आमसभा वर्ष 2016–17 की बैठक का आयोजन दिनांकः 26.09.2017 को वार मंगलवार समय दिन के 12:15 बजे वेटनरी कॉलेज ऑडिटोरियम में करणी सिंह सर्किल के पास, बीकानेर मे किया जावेगा बैठक में समस्त सदस्यों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।

बैठक में निम्नांकित विचारणीय विषयो पर विचार विमर्श कर निर्णय लिये जावेगें।

विचारणीय विषय (ऐजेंडा)

1. संघ की गत आमसभा दिनांकः 22.09.2016 की कार्यवाही एवं अनुपालना की पुष्टि।
2. वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तिम लेखों के अनुमोदन पर विचार।
3. संघ के वर्ष 2016–17 में वास्तविक खर्च एवं स्वीकृत बजट से अधिक हुए खर्चो के अनुमोदन पर विचार।
4. संघ के वर्ष 2017–18 का संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत वित्तीय एवं पूंजीगत बजट के अनुमोदन पर विचार।
5. संघ के वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा आक्षेप पूर्ति के अनुमोदन पर विचार।
6. वर्ष 2016–17 में अध्यक्ष/संचालक मण्डल की बैठकों के खर्चो के अनुमोदन पर विचार।
7. संघ में वर्ष 2017–18 के लिए वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक के अनुमोदन पर विचार।
8. संघ में दिनांक 01.07.2017 से दिनाक 30.06.2018 तक के लिए की गई आन्तरिक अंकेक्षक की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक के अनुमोदन पर विचार।
9. अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

नोटः– 1. यदि निर्धारित समय पर कोरम पूर्ण नही हुआ तो स्थगित आमसभा उस दिन उसी स्थान पर एक घण्टे पश्चात् होगी।

2. आम सभा में सदस्य समिति के अध्यक्ष ही भाग ले सकते है, जो अपना प्रस्ताव प्रपत्र को पूर्ण कर साथ मे लायेंगे।

3. यदि कोई सदस्य समिति, संघ/दुग्ध समितियो के हित मे कोई सुझाव देना चाहती है तो दिनांक : 20.09.2017 तक सम्बन्धित इकाई के प्रभारी/परियोजना अधिकारी को लिखित मे प्रेषित कर सकती है।

(डॉ. एस.के. चौपड़ा)

प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि प्रस्ताव

रजिस्ट्रेशन क्रमांक दिनांक .....

आज दिनांक ..... को ..... दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड ..... की प्रबन्धकारिणी की बैठक दिन के ..... बजे .... स्थान पर श्री ..... अध्यक्ष की अध्यक्षता मे हुई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव

1. उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि, बीकानेर की 31वीं वार्षिक आमसभा वर्ष 2016-17 दिनांक 26.09.217 में अध्यक्ष को भेजने व हस्ताक्षर प्रमाणित करने पर विचार

प्रमाणित

इकाई प्रभारी / सहा. परि.अधिकारी /मार्ग प्रभारी/
डेयरी-सुपरवाईजर/ग्राम प्रसार कार्यकर्ता

निर्णय

1. सर्व सम्मति से निर्णय हुआ कि उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि, बीकानेर की 31वीं वार्षिक आमसभा वर्ष 2016-17 दिनांक 26.09.2017 में इस समिति का प्रतिनिधित्व करने हेतु श्री .... पद अध्यक्ष के नमूना हस्ताक्षर निम्न प्रकार है।

नमूना हस्ताक्षर अध्यक्ष

(यहां समिति की मोहर लगायें)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव समिति की कार्यवाही रजिस्टर पृष्ठ संख्या ..... पर अंकित है। कार्यवाही रजिस्टर समिति कार्यालय में सुरक्षित है।

व्यवस्थापक अध्यक्ष

नोट : इस प्रस्ताव की एक प्रति बैठक से तीन दिन पूर्व संघ कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिये।

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., बीकानेर

अनुपालना प्रतिवेदन संघ की 30 वीं वार्षिक आमसभा की बैठक दिनांक 22.09.2016

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
एजेण्डा 30.1 संघ की गत आमसभा दिनांकः 04.11.2015 की कार्यवाही एवं अनुपालना की पुष्टि।	निर्णय :- गत आमसभा बैठक दिनांक 04.11.2015 की कार्यवाही एवं निर्णयों तथा अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन के पश्चात् विस्तृत चर्चा में एजेण्डा संख्या 29(5) संघ के वर्ष 2013-14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रस्तावित धारा 55 से संबंधित जांचों का निर्णय शीघ्र करवाया जाकर प्रकरणों का निस्तारण किये जाने का मुद्दा सदन द्वारा उठाया गया, जिस पर आरसीडीएफ प्रतिनिधि ने सदन की भावना से संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ लि0, जयपुर को अवगत करवाये जाने का आश्वासन दिया गया। इसके पश्चात् गत आमसभा बैठक दिनांक 04.11.2015 की कार्यवाही एवं अनुपालना की सर्व-सम्मति से पुष्टि/अनुमोदन किया गया।	उक्त प्रकरण में तदर्थ पदोन्नति दिये गये कार्मिकों को अधिक भुगतान किये गये वेतन की वसूली की जानी थी, जिसमें श्री आर. के. व्यास, उप-प्रबंधक (तदर्थ) से 44687/-रू, श्री के.के. सोनी, उप-प्रबंधक (तदर्थ) से 26780/- रू., श्री दलपत सिंह राठौड़ उप-प्रबंधक (तदर्थ) 48120/- रू. एवं श्री एम.एन. व्यास, उप-प्रबंधक (तदर्थ) से 14856/-रू. की वसूली कर ली गई है। श्री भरत सिंह चौधरी, सहायक प्रबंधक (तदर्थ) एवं श्री हरध्यान सिंह मेहरा सहायक प्रबंधक (तदर्थ) का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वसूली नहीं की गई है।
एजेण्डा 30.2 वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तिम लेखों के अनुमोदन पर विचार।	निर्णय :- उरमूल संघ के वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तिम लेखे सदन के पटल पर रखे गये, विचार-विमर्श के पश्चात् सर्व-सम्मति से प्रस्ताव अनुसार अन्तिम लेखों का अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं
एजेण्डा 30.3 संघ के वर्ष 2015-16 में वास्तविक खर्च एवं स्वीकृत बजट से अधिक हुए खर्चों के अनुमोदन पर विचार।	निर्णय :- सदन में संघ के वित्तीय वर्ष 2015-16 की वित्तीय बजट राशि का वास्तविक आय-व्यय राशि से तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सर्व-सम्मति से वास्तविक खर्च एवं स्वीकृत बजट से अधिक हुए व्यय खर्चों का अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
एजेण्डा 30.4 संघ के वर्ष 2016-17 का संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत वित्तीय एवं पूंजीगत बजट के अनुमोदन पर विचार।	निर्णय :- उरमूल संघ का वर्ष 2016-17 का संचालक मण्डल द्वारा स्वीकृत वित्तीय एवं पूंजीगत बजट सदन के पटल पर रखा गया। विचार-विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुसार स्वीकृत वित्तीय एवं पूंजीगत बजट का अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं
एजेण्डा 30.5 संघ के वर्ष 2014-15 की अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा आक्षेप पूर्ति के अनुमोदन पर विचार।	निर्णय :- उरमूल संघ का वर्ष 2014-15 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के भाग "अ" व "ब" की अनुपालना रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई, विचार-विमर्श के पश्चात् अंकेक्षण प्रतिवदेन भाग "अ" व भाग "ब" की अनुपालना/आक्षेप पूर्ति की सर्व-सम्मति से पुष्टि की गई।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं
एजेण्डा 30.6 वर्ष 2015-16 के अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के खर्चो के अनुमोदन पर विचार।	निर्णय :- प्रस्ताव अनुसार अध्यक्ष महोदय एवं संचालक मण्डल तथा गत आमसभा के खर्चो का सर्व-सम्मति से अनुमोदन किया गया।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं
एजेण्डा 30.7 संघ के वैधानिक अंकेक्षक वर्ष 2016-17 की नियुक्ति एवं अनुमोदन पर विचार।	निर्णय :- विचार-विमर्श पश्चात् प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित संक्षिप्त पैनल में से क्रम संख्या 1 की फर्म M/S Abhisek Sharma & Co. (130) D-173, Jagaraj Marg, Bapu Nagar, Jaipur को वर्ष 2016-17 के लिए संवैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही आरसीडीएफ के निर्देशानुसार अंकेक्षण फीस 25,000/- रूपये एवं यात्रा भत्ता व पॉकेट एलाउन्स के रूप में 25,000/- रूपये की फीस निर्धारण किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।	कार्यालय पत्र क्रमांक : उरमूल/वै.अ.(सं.अ.)/ 2016-17/17700-15 दिनांक 04.02.17 के द्वारा मैसर्स अभिषेक शर्मा एण्ड कम्पनी, चार्टेड एकाउन्टेन्ट को वित्तीय वर्ष 2016-17 वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया। पालना पूर्ण हुई।
एजेण्डा 30.8 संघ में दिनांक 01.07.2016 से दिनाक 30.06.2017 तक के लिए आन्तरिक अंकेक्षक की नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक के अनुमोदन पर विचार।	निर्णय :- विचार-विमर्श के उपरान्त संघ में दिनांक 01.07.2016 से 30.06.2017 तक के लिए मैसर्स माथुर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 110-112, नवजीवन कॉम्पलेक्स, स्टेशन रोड़, जयपुर- 302006 को आन्तरिक अंकेक्षक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण के कार्यालय आदेश क्रमांक : 3643 दिनांक 31.05.2016 कि सर्व-सम्मति से स्वीकृति/पुष्टि की गई।	कार्यवाही अपेक्षित नहीं
एजेण्डा 30.9 अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन में निम्न सुझाव व प्रस्ताव रखे गये :-		
एजेण्डा 30.9(1) संघ द्वारा दिनांक 01.09.2016 से दुग्ध खरीद	निर्णय :- आरसीडीएफ प्रतिनिधि द्वारा अवगत करवाया	संघ द्वारा कार्यालय पत्र

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
मूल्य में की गई वृद्धि को आगे एक माह तक और लागू रखे जाने का सुझाव दिया गया।	गया कि दुग्ध खरीद मूल्य में की गई वृद्धि को आगे भी लागू रखे जाने बाबत् प्रस्ताव तैयार कर आरसीडीएफ भिजवाया जावें। जिसके अनुमोदन हेतु प्रयास का आश्वासन दिया गया।	क्रमांक उरमूल/संस्था/ 2016/ 10396 दिनांक 27.09.2016 के द्वारा दुग्ध खरीद मूल्यों की अवधि बढ़ाने हेतु श्रीमान् महाप्रबन्धक (कृ.सं. एवं प. पा.), आरसीडीएफ लि., जयपुर को पत्र लिखकर प्रस्ताव भिजवाया गया। आरसीडीएफ द्वारा पत्र क्रमांक : आरसीडीएफ/ एफओएण्डएएच/एफ.10 (114)/2016/29780-81 दि. 30.09.16 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
एजेण्डा 30.9(2) राज्य सरकार द्वारा पशु चिकित्सालयों के माध्यम से पशुओं को मुत चिकित्सा की सुविधा डेयरी के माध्यम से भी शुरू करवाई जावें।	निर्णय :- प्रबंध संचालक द्वारा अवगत करवाया गया कि इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर आरसीडीएफ को भिजवाया जावेगा।	निर्णयानुसार श्रीमान् महाप्रबन्धक (कृ.सं. एवं प. पा.), आरसीडीएफ लि., जयपुर को दुग्ध समिति से सबद्व पशु पालकों को पशु-चिकित्सा सुविधा एवं निः शुल्क औषधियां उपलब्ध करवाने बाबत् पत्र क्रमांक : उरमूल / पीएण्डआई / 2016-17 /12057 दिनांक 18.10.2016 प्रेषित कर इस बाबत् कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया। पालना पूर्ण हुई।
एजेण्डा 30.9(3) समितियों को दिये जाने वाले दुग्ध कमीशन की दरें बढ़ाई जावें।	निर्णय :- प्रबंध संचालक द्वारा अवगत करवाया गया कि समितियों को दिये जाने वाले दुग्ध कमीशन की दरें आरसीडीएफ लि0, जयपुर द्वारा निर्धारित की जाती है, सदन की भावना से आरसीडीएफ को अवगत करवाया जावेगा।	निर्णयानुसार सदन की भावना से आरसीडीएफ को अवगत करवाया गया। आरसीडीएफ द्वारा प्रत्युत्तर में अवगत करवाया गया कि

प्रस्ताव	निर्णय	अनुपालना
		वर्तमान में दुग्ध कमीशन दुग्ध खरीद दर का 3 प्रतिशत दिया जा रहा है, जो दुग्ध खरीद दर में वृद्वि के साथ-साथ स्वतः ही बढ़ जाता है।
एजेण्डा 30.9(4) पशु-आहार की दरें कम की जावें।	निर्णय :- प्रबंध संचालक द्वारा अवगत करवाया गया कि पशु-आहार संयंत्र, आरसीडीएफ लि0, जयपुर के द्वारा चलाये जाते है, सदन की भावना से आरसीडीएफ को अवगत करवाया जावेगा।	निर्णय अनुसार सदन की भावना से आरसीडीएफ को अवगत करवाया गया तथा आरसीडीएफ द्वारा दिनांक 14.01.17 से कार्यालय पत्र क्रमांक : 46242-81 दिनांक 14.01.2017 के द्वारा 1/- रू. प्रति कि.ग्रा. पशु-आहार की दर में कमी की गई।
एजेण्डा 30.9(5) आईसीडीपी से प्राप्त परिसम्पतियों की देखभाल की जावें।	निर्णय :- प्रबंध संचालक द्वारा अवगत करवाया गया कि माननीय जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर से निवेदन कर इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।	आईसीडीपी से प्राप्त परिसम्पतियां संघ के पास है, उनकी देखभाल की जा रही है। जिन भवनों में दुग्ध समितियां चल रही है। उनकी देखभाल समितियां स्वयं कर रही है।

प्रबन्ध संचालक

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

सन्तुलन चित्र

(राशि रूपयों में)

विवरण	वर्ष 2016–17	
1. कोषों के स्त्रोत :		
1. पूंजी खाता		5,84,36,335.76
2. ऋण दायित्व		21,19,72,350.08
3. चालू दायित्व		23,09,67267.13
4. लाभ–हानि खाता		(–)32,78,86,229.52
प्रारम्भिक शेष	(–) 30,59,48,551.01	
चालू अवधि	2,19,37,678.51	
योग		**17,34,89,723.45**
2. कोषों के विनोयजन :		
1. स्थायी सम्पतियाँ		2,32,89,034.55
2. विनियोजन		3,21,57,121.77
3. चालू सम्पतियाँ		11,80,43,567.13
योग		**17,34,89,723.45**

ह./–
उप–प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

ह.
प्रबन्ध संचालक

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमने उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर के दिनांक 31.03.2017 के संतुलन चित्र, वर्ष के लाभ–हानि खाते की जांच कर ली है तथा हमारी सम्पति में अतिरिक्त इसके कि जिसका उल्लेख पृथक रूप से मूल ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है, कथित संतुलन चित्र, लाभ–हानि खाता एवं हमको दी गई सूचनाएं, उत्तर तथा संघ की किताब व वाउचर के अनुसार संघ के करोबार की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करते है।

ह./–
लेखा परीक्षक,
उरमूल, बीकानेर

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

वर्ष 2016-2017 की वित्तीय बजट राशि का आय-व्यय राशि से तुलनात्मक ब्यौरा

(1 अप्रेल 2016 से 31 मार्च 2017 तक)

(संक्षिप्त लाभ–हानि खाता)

(राशि हजारों में)

विवरण	वर्ष 2016–17	
	वित्तीय बजट राशि	वास्तविक आय / व्यय
1. आय मद		
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद बिक्री	1441698.00	1146414.00
पशुआहार बिक्री	183158.00	112798.00
अन्य आय	4842.00	16171.00
कुल योग	1629698.00	1275383.00
व्यय मद :		
1. सामग्री का उपयोग :		
2. दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद खरीद	904848.00	828408.00
3. वेतन एवं मजदूरी	142006.00	136287.00
4. उत्पादन व्यय	303428.00	171582.00
5. उत्पादित माल की कीमत (2 से 4 तक का योग)	1350282.00	1136277.00
6. पशुआहार एवं चारे की लागत	181611.00	112649.00
7. बेचे गये माल की लागत (5 से 6 तक का योग)	1531893.00	1248926.00
8. सकल लाभ (क्र.सं. 1–7)	97805.00	26457.00
9. बिक्री एवं वितरण	69533.00	31862.00
10. प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	20658.00	13157.00
11. आधिक्य / कमी (क्र.सं. 8–9–10)	7614.00	(–)18562.00
12. अवधि ऋण एवं अधिविकर्ष पर ब्याज	1500.00	
13. घिसावट	3600.00	3376.00
14. शुद्ध लाभ / हानि (क्र.सं. 11–12–13)	2514.00	(–)21938.00

टिप्पणी :

1. वित्तीय बजट एवं वास्तविक आय का आवश्यकतानुसार समूहिकरण किया गया है।

ह. / –
उप–प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

ह.
प्रबन्ध संचालक

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

वित्तीय बजट वर्ष 2017–18

राशि 000 रूपयों में

विवरण	बजट 2017—18
(ए) राजस्व :	
डबल टोड मिल्क	12746
टोंड मिल्क	279736
स्टैण्डर्ड मिल्क	171360
काऊ मिल्क	1487
जयपुर पैक मिल्क (टोंड मिल्क)	297322
जयपुर पैक मिल्क (डबल टोंड मिल्क)	48947
जयपुर पैक मिल्क (काऊ मिल्क)	68985
दुग्ध उत्पाद	
घी	285186
एसएमपी	186875
टेबल बटर	8304
पनीर	43554
लस्सी	7985
छाछ	31968
दही	9989
चीज	12052
रसगुल्ला	4471
गुलाबजामुन	1894
फ्लेवर्ड मिल्क	1699
श्रीखण्ड	842
मिनरल मिक्सचर	204
पशु आहार बिक्री	245060
विविध आय	5376
कुल राजस्व ए	**1726040**

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

वित्तीय बजट वर्ष 2017–18

राशि 000 रूपयों में

विवरण	बजट 2017—18
(बी) क्रय लागत	
समितियों से दुग्ध संकलन	950224
एसएमपी क्रय	1062
टेबल बटर	8041
रसगुल्ला	2910
गुलाबजामुन	1356
फ्लेवर्ड मिल्क	1596
मिनरल मिक्सचर	95
यू एम. बी.	
पशु आहार क्रय	243016
कुल क्रय लागत बी	1208299
(सी) ग्रुद्व मार्जिन ए–बी	517741
(डी) परिवर्तनशील लागत	
दुग्ध संकलन परिवहन व्यय	121992
समितियों का ओवरहेड	21849
बीघ्एमघ्सी खर्च	2555
ईधन	30600
बिजली	25200
रसायन	1800
टेंकर रिपेयर एवं ईधन/अनुबन्धित टेंकर	9360
लेबर	19200
अन्य प्रोसेस	20525
पैकिग चार्जेज	
दुग्ध	19686
घी	4370
एसएमपी	1243

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

वित्तीय बजट वर्ष 2017–18

राशि 000 रूपयों में

विवरण	बजट 2017—18
अन्य पैकिंग चार्जेज	5786
एनएमजी परिवहन	
आरएमजी परिवहन (पैक्ड)	23302
आरएमजी जॉब वर्क परिवहन	19419
सिटी सप्लाई परिवहन खर्च	7030
आरसीडीएफ सेस	12615
सब टोटल (सी)	346532
(ई) कन्ट्रूब्यूशन (सी–डी)	171209
स्थाई व्यय	
वेतन एवं अन्य परिलाभ	132839
मरम्मत एवं रखरखाव संयंत्र	6600
मरम्रमत एवं रखरखाव भवन	1500
ट्रेवलिंग एण्ड कनवेन्स	876
वाहन खर्च	2400
बीमा	600
विज्ञापन एवं सेल्स प्रमोशन	500
कार्यालय व्यय	15702
अन्य विविध स्थाई खर्चे	600
कुल स्थाई लागत (एफ)	161617
योजनाअन्तर्गत आधिक्य/घाटा(+/–) टीआईपी (जी)	
ब्याज एवं घिसावट से पूर्व लाभ (एच) (ई–एफ–जी)	9592
(आई) कार्यशील पूंजी पर ब्याज (आरसीडीएफ)	600
(जे) नकद लाभ (एच–आई)	8992
घिसावट (के)	3300
शुद्व लाभ (जे–के)	**5692**

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

भौतिक विवरण वर्ष 2017-18

ek=k gtkj fdyks@yhVj

विवरण	2017—18
दुग्ध संकलन(हजार किलो प्रतिदिन)	100
दुग्ध संकलन/क्रय	
समितियों से दुग्ध संकलन	36415
व्हाइट बटर क्रय	
एसएमपी क्रय	4
टेबलबटर	24
रसगुल्ला	30
गुलाबजामुन	12
फ्लेवर्ड मिल्क	21
मिनरल मिक्सचर	2
पशुआहार	14600
स्वंय का उत्पादन	
घी	639
एसएमपी	719
पनीर	144
लस्सी	166
छाछ	960
दही	144
चीज	37
श्रीखण्ड	5
दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद बिक्री	
तरल दूध (लीटर में)	
डबल टोंड	365
टोड	7300
स्टेण्डर्ड	4015
काऊ मिल्क	37
जयपुर पैक मिल्क (टोंड मिल्क)	8797
जयपुर पैक मिल्क (डबल टोंड मिल्क)	1643
जयपुर पैक मिल्क (काऊ मिल्क)	1825
उत्पाद बिक्री (000 किलो)	
घी	639
एसएमपी	719
टेबल बटर	24
पनीर	144
लस्सी	166
छाछ	960
दही	144
चीज	37
श्रीखण्ड	5
रसगुल्ला	30
गुलाबजामुन	12
फ्लेवर्ड मिल्क	21
मिनरल मिक्सचर	2
पशुआहार बिक्री	14600

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

पूंजीगत बजट वर्ष 2017–18 (राशि लाखो में)

भाग	क्रंसं.	आईटम का नाम	मात्रा	अनुमानित मूल्य	आवश्यकता की जगह	रिमार्क
अ	1	पी.एच.मीटर	1	1.50	उरमूल प्लान्ट	
	2	पोटेंसियो मीटर	1	3.50	उरमूल प्लान्ट	
	3	कन्टिन्युस बटर मेकिंग मशीन	1	40.00	उरमूल प्लान्ट	
	4	घी क्लेरिफायर (2 मेट्रिक टन)	1	12.00	उरमूल प्लान्ट	
	5	मिल्क साइलो (30 के.एल.)	1	20.00	उरमूल प्लान्ट	
	6	बॉयलर विद चिमनी (5 M.T.)	1	100.00	उरमूल प्लान्ट	
	7	प्लास्टिक/वूडन पेलेट्स	100	5.00	उरमूल प्लान्ट	
	8	वर्टिकल मिल्क टेंक (15 केएल)	2	18.00	उरमूल प्लान्ट	
	9	सोडियम एनालाइजर	1	3.50	उरमूल प्लान्ट	
	10	मिल्को स्केन एफटी–1	1	70.00	उरमूल प्लान्ट	
	11	इलेक्ट्रौनिक वेयईंग स्केल लैब	1	1.10	उरमूल प्लान्ट	
	12	मिल्को स्केन माईनर	1	25.00	उरमूल प्लान्ट	
	13	स्प्रैड चीज कप फिलिंग व सिलिंग मशीन	1	10.00	उरमूल प्लान्ट	
	14	डबल हेड मिल्क पेकिंग मशीन	2	10.00	उरमूल प्लान्ट	
	15	बॉयलर सॉफटनर प्लांट	1	10.00	उरमूल प्लान्ट	
		कुल		329.60		
ब		मिल्कोस्कीन,मॉश्चर एनालाईजर, ब्रस्ट्टिंग स्ट्रेन्थ मशीन 0–35 कि.ग्रा. प्रेशर, ऑटोमैटिक B.R. Meter, मिल्क एडलट्रेशन टिमोफर, E.M.A.T., हाट एयर ओवन (डिजीटल), कॉलोनी काउंटर, वैक्यूम पैक मशीन, Shrinkwrap Machine, कूलर, एयर कंडीशनर, डेस्कटॉप कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस,स्केनर, कूर्सी टेबल, आयरन रैक, प्लास्टिक स्टूल, प्रभारी कूर्सी, कम्प्यूटर टेबल, स्टील स्टूल विद बैक सीट, Ro Water प्लांट 250 LTR., फ्रीज, वेइंग स्कैल, गैस रेगुलेटर, करंसी नोट मशीन, स्मॉल टूल्स एवं टैक्लस, ऑनलाईन कोडिंग मशीन, ऑटोमेटिक टाइट्रेटर, डीप फ्रीज, माइक्रोवेव, रोटो पम्प विद गेयर फॉर खोवा मशीन, विभिन्न प्रकार की माटरे जैसे बटरचर्न, सप्लाई फैन, एग्जास्ट, आमोनिया कम्प्रैशर, कैरेट कनवेयर इत्यादि, गियर बॉक्स एवं अन्य विभिन्न प्रकार के पूंजीगत सामान।	विभिन्न विभागों की मांग के अनुरूप उक्त खरीद की जानी है।	30.00		
		कुल लागत भाग– अ व ब		359.60		

उपरोक्त वर्णित सूची में भाग– अ में क्रम संख्या 1 से 15 तक सामान की अनुमानित लागत 329.60 लाख की खरीद राजकीय अनुदान/ सहायता स्कीम प्राप्त होने पर की जायेगी एवं भाग–ब में उल्लेखित सामान विभिन्न विभागों की मांग एवं संघ की आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए संघ पेटे से खरीद की जानी प्रस्तावित है जिसकी अनुमानित लागत 30 लाख रूपये है।

विचारणीय विषय एजेण्डा

6. वर्ष 2016–17 के अध्यक्ष एवं संचालक मण्डल के खर्चो के अनुमोदन पर विचार।

क्र.सं.	खर्च मद		राशि
1	अनुबंधित वाहन अध्यक्ष के लिए		263890.00
2	टेलीफोन/मोबाईल		14263.00
3	यात्रा भत्ता		108337.00
4	संचालक मण्डल बैठक खर्च		
5	**आमसभा दिनांक 04.11.2015 का**		117923.00
	कुल खर्च	563043.00	
	(–) विज्ञापन प्राप्ति	–385120.00	
	शेष खर्च	177923.00	

उपरोक्तानुसार खर्च राशि का प्रस्ताव आमसभा के समक्ष पुष्टि/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

7. संघ के वैधानिक अंकेक्षक वर्ष 2017–18 की नियुक्ति पर विचार

रजिस्ट्रार महोदय सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर के परिपत्र दिनांक 28–5–2013 अनुसार सोसायटियों द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया, लेखा परीक्षा पारिश्रमिक के निर्धारण तथा सोसायटियों की गत वर्षो की बकाया लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। आरसीडीएफ लि. जयपुर पत्र क्रमांक आरसीडीएफ/सैं.ओ. ए.एमयू/13/9642–63 दिनांक 31–5–2013 एवं पत्र क्रमांक 6919–38 दिनांक 12–7–2013 में दिए निर्देशानुसार रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के निर्धारित पैनल में से एक संक्षिप्त पैनल बनाने हेतु कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने संचालक मण्डल बैठक दिनांक 06–09–2017 में अनुमोदित चार्टेड एकाउन्टेंट फर्मो के पैनल में से तीन फर्मो का संक्षिप्त पैनल तैयार किया जो निम्न प्रकार से है :

1. M/s Jaya & Associates
   (110) Rampuria Mohalla, Bikaner - 334005
2. M/s S.B. Bagdi & Co.
   (79), E-25, Khachanchi Market, K.E.M. Road, Bikaner
3. M/s Abhishek Sharma & Co.
   (130) D-173, Jagaraj Marg, Bapu Nagar, Jaipur

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए नियुक्त संवैधानिक अंकेक्षक को पारिश्रमिक वित्तीय सलाहकार आरसीडीएफ लि., जयपुर के पत्रांक एफ–2/आरसीडीएफ/(सं.अ.एम.यु) 2016/17154–178 दिनांक 26.07.2016 के अनुसार तय किया जाना है। आरसीडीएफ लि. द्वारा तय किया गया पारिश्रमिक टर्न ओवर 100 करोड़ से अधिक होने पर संवैधानिक अंकेक्षक की फीस ''सी'' श्रेणी में 25000/– रू. एवं यात्रा भत्ता एवं पॉकेट एलाउन्स के रूप में 25000/– रू. अधिकतम है।

अतः नियुक्त सवैंधानिक अंकेक्षक की अंकेक्षण फीस 25000/– रू. एवं यात्रा भत्ता एवं पॉकेट एलाउन्स के रूप में 25000/– रूपये दिये जा सकते है। इस संक्षिप्त पैनल में से एक चार्टेड एकाउन्टेंट फर्म को वित्तीय वर्ष 2017–18 का संवैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया जाने एवं उपरोक्तानुसार पारिश्रमिक तय किये जाने हेतु आम–सभा के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. संघ के आन्तरिक अंकेक्षक वर्ष 2017–18 के नियुक्ति एवं पारिश्रमिक स्वीकृति पर विचार।

संघ के संचालक मण्डल की 201 वीं विशेष बैठक दिनांक 27.03.2017 के एजेण्डा व निर्णय संख्या 201 (8) (संलग्न–1) की पालना में संघ के आंतरिक अंकेक्षक मैसर्स के.ए. एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एस–4, श्याम जी.एच.पी. इनक्लेव तीसरी मंजिल, जे–40, कृष्णा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर की नियुक्ति का आदेश क्रमांक : 2527–28 दिनांक 19.05.2017 जारी किया गया। (संलग्न–2)

इसके लिए आरसीडीएफ के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार एक कमेटी का गठन करने की स्वीकृति संचालक मण्डल से ली गई। स्वीकृत 10 चार्टर्ड एकाउन्टेंट के पैनल में से कमेटी द्वारा मैसर्स के.ए. एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन आंतरिक अंकेक्षक नियुक्ति हेतु प्रस्तावित किया गया। संघ के संचालक मण्डल बैठक दिनांक 27.03.2017 में आरसीडीएफ के द्वारा निर्धारित फीस 15000/– रूपये प्रतिमाह + सर्विस टैक्स के संबंध में लिये निर्णय अनुसार ही आंतरिक अंकेक्षक वर्ष 2017–18 (दिनांक 01.07.2017 से 30.06.2018) के लिए नियुक्त किया गया।

अतः मैसर्स के.ए. एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की नियुक्ति आंतरिक अंकेक्षक के रूप में करने का जारी आदेश दिनांक 19.05.2017 की पुष्टि/स्वीकृति दिनांक 06.09.2017 की संचालक मण्डल बैठक से प्राप्त कर आमसभा के समक्ष स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित

दूरभाष : 0151–2522957
मोबाइल : 9414138557,
9413372141, 9414015877

सभी प्रकार की
● कार्यालय स्टेशनरी
● बहुरंगीय मुद्रण एवं
● उत्कृष्ठ मुद्रण का
एक मात्र स्थान

प्रातः स्मरणीय स्व. श्री सुरेश कुमार जी मोदी प्रातः स्मरणीय स्व. श्रीमती आशा देवी (बी–दादा)

मनीष प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स

उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 की अनुपालना रिपोर्ट

पंजीयन क्रमांक : 579/ एफ पंजीयन दिनांक 29.08.1972

ऑडिट अवधि : 01.04.2015 से 31.3.2016

नाम वर्तमान अंकेक्षक : एस. बी. बागड़ी एण्ड कम्पनी, बीकानेर

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
1		1. वर्तमान में संस्था की किस अवधि की लेखा परीक्षा की जा रही है। यह लेखा परीक्षा किस तारीख को प्रारम्भ कर, कौनसी तारीख को सम्पन्न की गई।		
		उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर की ऑडिट अवधि दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की गई है। जिसका प्रारम्भ दिनांक 01.07.2016 से विभिन्न तारीखों पर किया जाकर दिनांक 30.09.2016 को समाप्त किया गया।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		(अ) संस्था द्वारा लेखा परीक्षा हेतु सूचना एवं स्टेटमेन्ट किस तिथि को उपलब्ध कराये गये? लेखा परीक्षा हेतु अपेक्षित समस्त सूचनाऐं, विवरण, रिकार्ड, स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की दशा में इस बाबत जारी किये गये लेखा परीक्षा मीमों तथा पत्रों का विवरण अंकित करें।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		संस्था से मांगे गये सूचना, विवरण, रिकार्ड एवं स्पष्टीकरण यथासमय आडिट अवधि के दौरान उपलब्ध करवा दिये गये एवं मांगे गये स्पष्टीकरणों का संस्था द्वारा समुचित प्रतिउत्तर ऑडिट अवधि के दौरान प्रस्तुत कर दिया गया।		
		(ब) क्या पंजीयन पत्र एवं संशोधित उपनियम संस्था के पास सुरक्षित है।		
		संस्था का पंजीयन संख्या 579/एफ दिनांक 29.08.1972 है। पंजीयन प्रमाण पत्र संस्था की सहकारिता अनुभाग में सुरक्षित है। ऑडिट अवधि के दौरान पंजीयन प्रमाण पत्र का अवलोकन भौतिक रूप से किया गया।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		(स) क्या संस्था में अन्य आवश्यक अनुज्ञा पत्र जैसे सैल्स टैक्स, फूडग्रेन, ड्रग, लाईसेन्स, अधिनियम के अन्तर्गत लाईसेन्स इत्यादि प्राप्त कर लिये है व इनका नवीनीकरण समय पर करवाया जाता है।		
		यदि नहीं तो क्या कारण है? इससे संभावित हानि अंकित करते हुए उनके बारे में उल्लेख करें।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		संस्था द्वारा वैधानिक रूप से आवश्यक समस्त अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये हुए है। अनुज्ञा पत्रों का समय पर नियमानुसार नवीनीकरण करवाया जाता है।		

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
2		2. (अ) क्या गत वर्षो के अंकेक्षक प्रतिवेदन संघ में उपलब्ध है। क्या उनकी अधिनियमान्तर्गत आक्षेप पूर्ति/अनुपालना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को निर्धारित समय पर भिजवाई जा रही है। जिन वर्षो की आक्षेप पूर्ति/अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। उसके संबंध में निम्न सूचनायें अंकित करें :- (1) लेखा परीक्षा अवधि (2) लेखा परीक्षा रिपोर्ट पारित की दिनांक (3) लेखा परीक्षा रिपोर्ट को संचालक मण्डल एवं साधारण निकाय के समक्ष विचारार्थ रखने की दिनांक (4) मुख्य आक्षेप जिनकी पूर्ति संस्था द्वारा नहीं की गई एवं जिनकी ओर संस्था के साधारण निकाय एवं उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना है। (लेखा परीक्षा आक्षेप) क्रमांक सहित और प्रस्तावित पूर्ति (सुझाव) दिजियें। सूची संलग्न करें। विगत वर्षो के अंकेक्षक प्रतिवेदन का रिकार्ड संघ में उपलब्ध है। संस्था द्वारा ऑडिट रिपोर्ट मय अनुपालना संघ के संचालक मण्डल/आमसभा में रखा जाता है तथा रिपोर्ट मय अनुपालना रजिस्ट्रार सहकारी समिति, राजस्थान, जयपुर को समय पर भेज दी गई है। कुछ आक्षेप जिनकी पूर्ति संस्थागत विकास अधिकारी के द्वारा की जानी है। उनकी पूर्ति अभी तक नहीं की गई है। इस संबंध में सार्थक प्रयास कर निष्पादन किया जाना आपेक्षित है।	संस्थागत विकास अधिकारी, आरसी डीएफ, जयपुर ने पत्र क्रमांक : 46414 दिनांक 16.01.17 के द्वारा अवगत करवाया है कि वर्ष 2014-15 के ऑडिट आक्षेप पत्र भाग "ब" (पृ.सं. 42) में धारा-57 के वर्ष 2008-09 के 02 एवं वर्ष 2010-11 का 01 कुल तीन प्रकरण शेष दर्शाये गये है। संस्थागत विकास अधिकारी के निर्णय क्रमांक : 26068-70 दिनांक 23.09.2014 द्वारा ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2010-11 के प्रकरण का निस्तारण तथा आदेश क्रमांक : 9802-07 दिनांक 10.06.2015 द्वारा ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2008-09 का ऑडिट पैरा संख्या 19 (भाग "अ") का निस्तारण किया जा चुका	वर्ष 2014-15 को छोड़कर पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
			है। ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-15 के	
		(ब) क्या संस्था द्वारा विभागीय परिपत्रानुसार वार्षिक रिपोर्ट के साथ गत वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का भाग-अ प्रकाशित किया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?	भाग-अ के पैरा 22 व भाग-ब के क्रम में केवल एक प्रकरण विचाराधीन है।	पूर्ति मान्य है।
		संस्था द्वारा आमसभा में वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं अन्तिम खाते तथा बजट का प्रकाशन आमसभा की पुस्तिका में किया जाता है। गत वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट की अनुपालना संचालक मण्डल द्वारा दिनांक 04.11.2015 को कर दी गई है एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रकाशन आगामी आमसभा की पुस्तिका में किया जाना प्रस्तावित है। विगत वर्षो की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रकाशन आमसभा की पुस्तिका में किया जाना पाया गया है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	
		(स) क्या संस्था द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की यथा-संशोधित धारा 122(क) की पालना कर अपेक्षित वार्षिक विवरणियां निर्धारित समय में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर दी गई है ? यदि नहीं, तो विस्तृत टिप्पणी देवें।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		ऑडिट अवधि के दौरान यह बताया गया कि समस्त वार्षिक विवरणियां निर्धारित समय में रजिस्ट्रार महोदय को प्रस्तुत कर दी गई है।		
3		3. लेखा परीक्षा अवधि में अधिकृत अधिकारियों द्वारा किये गये संस्था के/शाखाओं के निरीक्षक की तिथि अधिकारियों के पद, निरीक्षण पत्र प्राप्ति की तिथि तथा पूर्ति रिपोर्ट पठाने की तिथि अंकित करें। उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0, बीकानेर की एपेक्स (शीर्ष) संस्था राजस्थान कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि0, जयपुर है। आरसीडीएफ के सक्षम अधिकारी द्वारा संघ का निरीक्षण नहीं किया गया।	अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
4		4. प्रबंध व्यवस्था :- ऑडिट अवधि के दौरान संघ के संचालक मण्डल का विवरण निम्न प्रकार से है :-	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट						अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		क्र. सं.	नाम संचालक/ निदेशक	पद	संस्था जिसका प्रतिनिधित्व	वर्ग जिसका प्रतिनिधित्व करते है	निर्वाचित दिनांक करते है		
		1	2	3	4	5	6		
		1	श्री हरजीराम जाखड़	अध्यक्ष	राजीव नगर, दु.उ.स.सं. लि.	सामान्य	27.08.2010		
		2	श्री रेवन्तराम	संचालक	कबीर कुटिया, दु.उ.स.सं. लि.	सामान्य	27.08.2010		
		3	श्री बंशीलाल विश्नोई	संचालक	शिवरों की ढ़ाणी, दु.उ.स.सं. लि.	सामान्य	27.08.2010		
		4	श्री हुकमाराम	संचालक	खिचड़ों की ढ़ाणी, दु.उ.स.सं. लि.	सामान्य	27.08.2010		
		5	श्रीमती मंजूरा बेगम	संचालक	रसुलर महिला, दु.उ.स.सं. लि.	सामान्य	27.08.2010		
		6	श्रीमती भंवरी देवी	संचालक	राणीसर महिला, दु.उ.स.सं. लि.	सामान्य	27.08.2010		
		7	श्री गंगाराम	संचालक	राणीसर, दु.उ.स.सं. लि.	सामान्य	27.08.2010		
		8	श्री गिरधारी लाल	संचालक	बादनूं, दु.उ.स.सं. लि.	सामान्य	27.08.2010		
		9	श्री फुसाराम	संचालक	कुचौर आथूणी, दु.उ.स.सं.लि.	अनु.जाति	27.08.2010		
		10	श्री रतनाराम	संचालक	7 एएम, दु.उ.स.सं. लि.	अ.पि.वर्ग	27.08.2010		
		11	श्रीमती गुड्डी मीणा	संचालक	17 पीएसडी, दु.उ.स.सं. लि.	अ.ज.जा.	27.08.2010		
		12	मुख्य कार्य. अधिकारी जिलापरिषद, बीकानेर	संचालक	मनोनीत प्रतिनिधि, राजस्थान सरकार	मनोनीत	27.08.2010		
		13	अति-रजिस्ट्रार, सह. समितियां, बीकानेर	संचालक	मनोनीत प्रतिनिधि रजि. सहकारी समितिया, राजस्थान,जयपुर	मनोनीत	27.08.2010		
		14	प्रतिनिधि आरसी डीएफ (पदेन)	संचालक	मनोनीत प्रतिनिधि आरसीडीएफ (पदेन)	मनोनीत	27.08.2010		
		15	प्रबंध संचालक (पदेन)	संचालक	प्रबंध संचालक (पदेन)	एक्स ऑफिसियों सचिव	27.08.2010		

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी

ऑडिट अवधि के दौरान संचालक मण्डल का निर्वाचन हुआ, जिसके आधार पर नवगठित संचालक मण्डल का विवरण निम्न प्रकार है :-

अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।

पूर्ति मान्य है।

क्र. सं.	नाम संचालक/ निदेशक	पद	संस्था जिसका प्रतिनिधित्व करते है	वर्ग जिसका प्रतिनिधित्व करते है	निर्वाचित दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री रेवन्तराम	अध्यक्ष	कबीर कुटिया, दुउससं लि.	सामान्य/11	22.09.2015
2	श्री हुकमाराम	संचालक	खिचड़ों की ढ़ाणी, दुउससं लि.	सामान्य/02	22.09.2015
3	श्री गंगाराम	संचालक	राणीसर, दुउससं लि.	सामान्य/08	22.09.2015
4	श्री नोपाराम	संचालक	राजीव नगर, दुउससं लि.	सामान्य/04	22.09.2015
5	श्री धनराज	संचालक	बादनूं, दुउससं लि.	सामान्य/12	22.09.2015
6	श्रीमती राधा देवी	संचालक	3 SSM महिला, दुउससं लि.	सामान्य/06	22.09.2015
7	श्री रामनारायण विश्नोई	संचालक	फुलासर फांटा, दुउससं लि.	सामान्य/03	22.09.2015
8	श्री मोहम्मद यार खां	संचालक	रावत आबादी, दुउससं लि.	सामान्य/01	22.09.2015
9	श्री मोहम्मद अली	संचालक	केंला, दुउससं लि.	सामान्य/05	22.09.2015
10	श्री हरचन्दराम	संचालक	सिमरथा बास, दुउससं लि.	सामान्य/10	22.09.2015
11	श्री महीपाल विश्नोई	संचालक	खारिया बास, दुउससं लि.	सामान्य/09	22.09.2015
12	श्री बलदीप	संचालक	चक 240, दुउससं लि.	सामान्य/07	22.09.2015
13	CEO,जि.प.,बीकानेर	संचालक	मनोनीत प्रतिनिधि, राज. सरकार	मनोनीत	22.09.2015
14	अति-रजिस्ट्रार, सह. समितियां, बीकानेर	संचालक	मनोनित प्रतिनिधि, रजि.सहकारी सहकारी समितिया, राज., जयपुर	मनोनीत	22.09.2015
15	प्रतिनिधि आरसी डीएफ (पदेन)	संचालक	प्रतिनिधि आरसीडीएफ (पदेन)	मनोनीत	22.09.2015
16	प्रबंध संचालक (पदेन)	संचालक	प्रबंध संचालक (पदेन)	एक्स ऑफिसियों सचिव	22.09.2015

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		(ब) लेखा परीक्षा अवधि में यदि संचालक/निदेशक का कोई स्थान रिक्त रहा हो अथवा कोई परिवर्तन हुआ तो उसका विवरण दें।		
		ऑडिट अवधि के दौरान संचालक मण्डल के किसी संचालक/निदेशक का कोई स्थान रिक्त नहीं हुआ है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		(स) क्या किसी संचालक मण्डल के किसी सदस्य द्वारा संस्था से ऋण लिया गया है, यदि हां, तो लेखा परीक्षा अवधि में किस-किस संचालक के विरूद्व कितनी-कितनी राशि अवधिपार बकाया है?		
		ऑडिट अवधि के दौरान संघ के किसी संचालक मण्डल द्वारा संस्था (संघ) से कोई ऋण लेना नहीं पाया गया है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		(द) क्या संचालक मण्डल का कोई सदस्य लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहे है। यदि हां, तो उसके विरूद्व अधिनियमान्तर्गत क्या कार्यवाही की गई ?		
		ऑडिट अवधि के दौरान संघ के संचालक मण्डल की दो बैठके दिनांक 14.10.2015 व 19.01.2016 को आयोजित हुई। संघ के संचालक मण्डल का कोई भी सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित नहीं रहा है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		(य) यदि लेखा परीक्षा अवधि में संस्था में संचालक मण्डल के स्थान पर प्रशासन नियुक्त रहा है, तो उसकी नियुक्ति तिथि, प्रशासक का नाम एवं नियुक्ति आदेश का विवरण अंकित करें।		
		ऑडिट अवधि के दौरान उत्तरी राजस्थान सहकारी उत्पादक संघ लि0, बीकानेर का संचालक मण्डल ही कार्यरत रहा। संस्था में किसी भी प्रशासक की नियुक्ति नहीं हुई।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		(र) लेखा परीक्षा अवधि में आयोजित की गई संचालक मण्डल/प्रशासकीय बैठकों की संख्या एवं लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का विवरण अंकित करें।		
		ऑडिट अवधि के दौरान संघ के संचालक मण्डल की दो बैठके दिनांक 14.10.2015 व 19.01.2016 को आयोजित हुई।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		दिनांक 14.10.2015 के बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय :-		पूर्ति उचित है।
		1. नवनिर्वाचित संचालक मण्डल की यह पहली बैठक थी। जिसमें 29 वीं वार्षिक आमसभा का एजेण्डा तैयार किया गया।		

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		2. स्व. श्री हिम्मत सिंह, डेयरी वर्कर के पुत्र श्री अजीत सिंह को कनिष्ठ लिपिक पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई। 3. उरमूल भवन एवं डेयरी संयंत्र तथा आवासीय कॉलोनी, उरमूल नगर के भवनों की टूट-फूट की मरम्मत करवाने का निर्णय लिया गया। 4. 22 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को संघ की सदस्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 5. उरमूल संघ द्वारा येलो बटर की कि गई खरीद का अनुमोदन किया गया। 6. वर्ष 2015-16 का स्वीकृत पूंजीगत बजट से किये गये अधिक व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। 7. संघ में तदर्थ पदोन्नति पद पर कार्यरत कार्मिकों के वेतनमान की वसूली नहीं करने का निर्णय लिया गया। 8. वर्ष 2015-16 के संवैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया एवं मानदेय के निर्धारण का निर्णय लिया गया। 9. संघ के कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2014-15 के बोनस/एक्सग्रेसिया के भुगतान की स्वीकृति दी गई। दिनांक 19.01.2016 के बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय :- 1. संघ की आवश्यकता अनुसार कार्यशील पूंजी ऋण आरसीडीएफ, जयपुर के दिशा-निर्देश अनुसार लिये जाने के लिए प्रबंध संचालक को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। 2. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए त्रिमाही वास्तविक खर्चो का अनुमोदन किया गया। 3. फूड सेफ्टी मैनेजमेन्ट सिस्टम सर्टिफिकेशन पर पूर्व स्वीकृत राशि के अतिरिक्त खर्च का अनुमोदन किया गया। 4. दुग्ध संयंत्र/इकाईयों पर की गई जोनल बैठकों के खर्च का अनुमोदन किया गया। 5. दुग्ध बिक्री पर सैल्स प्रमोशन स्कीम पर हुये खर्च का अनुमोदन किया गया। 6. संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को अनुबंधित वाहन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। 7. चुनाव खर्च राशि की वसूली संघ में जमा एक प्रतिशत राशि में से समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।		

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी

(2) संस्था में लेखा परीक्षा अवधि में कार्यरत प्रबंध संचालक, मुख्य प्रबंधक, उप प्रबंधक आदि अधिकारियों के संबंध में निम्न तालिका में विगत अंकित करें।

ऑडिट अवधि के दौरान उरमूल संघ के प्रबंध संचालक/मुख्य प्रबंधक/उप-प्रबंधक आदि अधिकारियों की सूचना निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	अवधि
1.	श्री एल.के. जैन	प्रबंध संचालक	01.04.15 से 29.10.15
2.	श्री आर.के. सुथार	प्रबंध संचालक	30.10.15 से 31.03.16
3.	श्री अजय कुमार	उप-प्रबंधक (संयंत्र)	01.04.15 से 31.03.16
4.	श्री धर्मवीर विश्नोई	उप-प्रबंधक (पीएण्डआई)	01.04.15 से 31.03.16
5.	डॉ. सुनील कुमार चौपड़ा	उप-प्रबंधक (पीएण्डआई)	01.04.15 से 31.03.16
6.	डॉ. मोहम्मद आरिफ	उप-प्रबंधक (पीएण्डआई)	01.04.15 से 31.03.16
7.	डॉ. भारती उपनेजा	उप-प्रबंधक (पीएण्डआई)	01.04.15 से 31.03.16
8.	डॉ. कानाराम गोदारा	उप-प्रबंधक (पीएण्डआई)	01.04.15 से 31.03.16
9.	डॉ. ए.एन. कुरैशी	उप-प्रबंधक (पीएण्डआई)	01.04.15 से 31.03.16
10.	श्री रामजस जाखड़	उप-प्रबंधक (पीएण्डआई)	01.04.15 से 31.03.16
11.	श्री महेश कुमार जोशी	उप-प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	01.04.15 से 31.03.16
12.	श्री दलपत सिंह	उप-प्रबंधक (गु0 नि0)	01.04.15 से 31.03.16
13.	श्री आर.के. गुप्ता	उप-प्रबंधक (संयंत्र)	01.04.15 से 31.03.16
14.	श्री के.के. सोनी	उप-प्रबंधक (संयंत्र)	01.04.15 से 31.03.16
15.	श्री एस.के. सिंह	परियोजना अधिकारी	01.04.15 से 31.03.16
16.	श्री गुमान सिंह	सहा0 परि0 अधिकारी	01.04.15 से 31.03.16
17.	श्री सुगनाराम	सहा0 परि0 अधिकारी	01.04.15 से 31.03.16
18.	श्री लालाराम ज्याणी	सहा0 परि0 अधिकारी	01.04.15 से 31.03.16
19.	श्री रामप्रताप सिद्ध	सहा0 परि0 अधिकारी	01.04.15 से 31.03.16

अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।

पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट				अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		20.	श्री बाबूलाल विश्नोई	सहा0 परि0 अधिकारी	01.04.15 से 31.03.16		
		21.	श्री गयाप्रसाद	सहा0 परि0 अधिकारी	01.04.15 से 31.03.16		
		22.	श्री हरध्यान सिंह	सहायक प्रबंधक (लेखा)	01.04.15 से 31.03.16		
		23.	श्री जी.एस. भाटी	सहायक प्रबंधक (गु0 नि0)	01.04.15 से 31.03.16		
		24.	श्री भरत सिंह चौधरी	सहायक प्रबंधक (संयंत्र)	01.04.15 से 31.03.16		
		25.	श्री अजय गोस्वामी	सहायक प्रबंधक (अभि0)	01.04.15 से 31.03.16		
		26.	श्री पी.सी. पाण्डे	सहायक प्रबंधक (अभि0)	01.04.15 से 31.03.16		
5		5.	(1) क्या उपनियमों में उप समितियों के गठन का प्रावधान है? यदि हां, तो लेखा परीक्षा अवधि में कौन-कौनसी उप समितियों का गठन किया गया? इनमें नियुक्त पदाधिकारियों/सदस्यों के नाम, कार्यकाल, आयोजित कुल बैठकों की संख्या, सदस्यों की उपस्थिति एवं लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय का विवरण अंकित करें। संस्था के उपनियमों में संस्थापन समिति के अतिरिक्त किसी उप समिति के गठन का प्रावधान नहीं है। ऑडिट अवधि के दौरान संस्थापन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई। संस्थापन समिति में निम्न सदस्य होते है :- 1. अध्यक्ष 2. प्रबंध संचालक 3. आरसीडीएफ का प्रतिनिधि 4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जॉन-बीकानेर), रजिस्ट्रार राजस्थान सहकारी समिति, जयपुर का प्रतिनिधि।			अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
			(2) क्या उप समितियों की कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज की जाती है तथा क्या संचालक मण्डल ने उप समितियों द्वारा लिये गये निर्णय की पुष्टि कर दी गई है? संस्थापन समिति के कार्यवाही का विवरण संधारित रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्थापन समिति की कार्यवाही का अनुमोदन किया जाता है।			अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
6		6.	लेखा परीक्षा अवधि में आयोजित किये गये साधारण निकाय के वार्षिक अधिवेशन एवं विशेष साधारण सभाओं के आयोजन की दिनांक का विवरण अंकित करें। क्या इनका आयोजन सहकारी अधिनियम, नियम एवं पंजीकृत उपविधियों के अनुरूप किया गया है?				

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>ऑडिट रिपोर्ट</th><th>अनुपालना</th><th>अंकेक्षक टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0, बीकानेर की 29 वीं वार्षिक आमसभा दिनांक 04 नवम्बर, 2015 को सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अनुसार आयोजित हुई।</td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td></td><td>7. क्या आमसभा, संचालक मण्डल की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज कर दी गई है। बैठकों में लिए गये निर्णयों को क्रियान्विति की ओर ध्यान दिया जाता है अथवा नहीं। संस्था की वार्षिक आमसभा एवं संचालक मण्डल की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण संधारित कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जाता है तथा बैठकों में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति भी की जाती है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td></td><td>8. नियम, उपनियम एवं अधिनियम के विरूद्व अथवा संस्था के हित के प्रतिकूल लिये गये निर्णयों का विवरण :-
ऑडिट अवधि के दौरान संघ में संघ के नियम, उपनियम एवं अधिनियम के विरूद्व अथवा संस्था के हित के प्रतिकूल निर्णय लिया जाना नहीं पाया गया है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td>9. लेखा परीक्षा अवधि में कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत व वास्तव में कितने कर्मचारी कार्यरत रहे है। नियुक्तियों स्वीकृत पद के अनुरूप रही है या नहीं। टिप्पणी अंकित करें।
ऑडिट अवधि के दौरान संस्था में कार्मिकों के कुल 331 पद स्वीकृत थे। उपरोक्त स्वीकृत स्टाफ स्ट्रेन्थ के विरूद्व 190 कार्मिक कार्यरत रहे तथा नियुक्तियां स्वीकृत पद के अनुरूप रही है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td>10. कर्मचारियों के संबंध में निम्न सूचना संलग्न करें :-
(अ) संस्था के कर्मचारियों के संबंध में :- (स्वीकृत बजट/पद सं. वार)
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>नाम कर्मचारी</th><th>दिनांक</th><th>नियुक्ति पद</th><th>वेतन श्रृंखला</th><th>वर्तमान में पा रहे वेतन भत्ते</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>शैक्षणिक योग्यता</th><th>प्रशिक्षित है या नहीं</th><th>नगद प्रतिभूति</th><th>जमानत ली गई फिडिलिटी या व्यक्तिगत</th><th>विशेष विवरण</th></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr>
</table>
(ब) प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में :-
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>नाम कर्मचारी</th><th>पद</th><th>किस विभाग एवं पद से प्रतिनियुक्ति पर आये है</th><th>प्रतिनियुक्ति पद पर आने की तिथि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table></td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		कर्मचारी के संबंध में सूची रिपोर्ट के साथ संलग्न है।		
11		11. क्या संस्था द्वारा कर्मचारियों के सेवा नियम बनाये जाकर उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली है? क्या उनकी विधिवत पालना की जा रही है? उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0, बीकानेर द्वारा आरसीडीएफ ईम्पलॉईज (नॉन-वर्कमैन) सर्विस रेगुलेशन, 1980 को अंगीकृत किया हुआ है। जो उरमूल के कार्मिकों पर वर्ष 1988 से लागू है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
12		12. क्या संस्था कर्मचारियों की नियुक्तियाँ नियमानुसार एवं विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्य को देखते हुये की गई है? अपनी टिप्पणी करें। ऑडिट अवधि के दौरान निम्न कार्मिकों को अनुकम्पा नियुक्ति संचालक मण्डल बैठक दिनांक 14.10.2015 में लिये गये निर्णय अनुसार स्व. श्री हिम्मत सिंह, डेयरी वर्कर के पुत्र श्री अजीत सिंह को लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पद पर स्थिर वेतन 8910/- पर नियुक्ति दो वर्ष के परिविक्षाकाल अन्तर्गत प्रदान की गई। उक्त नियुक्ति रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जानी पाई गई है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
13		13. क्या कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें एवं रिकार्ड नियमानुसार प्रचलित किया जाकर तातारीख पूर्ण रखा गया है। रेण्डम आधार पर जांच कर टिप्पणी अंकित करें। संस्था के कर्मचारियों की सेवापुस्तिकायें एवं रिकार्ड नियमानुसार संधारित है। रेण्डम आधार पर कार्मिकों की सेवापुस्तिकाओं का परीक्षण किये जाने पर कार्मिकों की सेवापुस्तिकाऐं तातारीख तक पूर्ण रखी पाई गई है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
14		14. क्या लीव सैलरी, पेन्शन कान्ट्रीब्यूशन समय पर भिजवाया जा रहा है? नहीं, तो उल्लेख करें। ऑडिट अवधि के दौरान संस्था में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों का लीव सैलरी, पेन्शन कान्ट्रीब्यूशन समय पर भेजा जाना पाया गया है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
15		15. (अ) क्या संस्था में कार्मिकों का संविदा के आधार पर रखा गया है? यदि हां तो, संविदा कार्मिकों को उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी तथा संस्था के मध्य करार हुआ है? एजेन्सी एवं संस्था के मध्य करार की पालना के संबंध में टिप्पणी अंकित करें। संविदा पर कार्मिक उपलब्ध करवाने वाली एजेन्सी मैसर्स धर्मेन्द्र रोड़ लाईन्स एवं संस्था के मध्य	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>ऑडिट रिपोर्ट</th><th>अनुपालना</th><th>अंकेक्षक टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>करार होना पाया गया है।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td></td><td>16. कर्मचारियों के संबंध में कोई विवाद चल रहा हो, तो विवरण सहित अंकित करें। लेखा परीक्षा अवधि में श्रम कानून के अन्तर्गत हुये निरीक्षण में उल्लेखित महत्वपूर्ण आपत्तियों को अंकित करें। ऑडिट अवधि के दौरान पाया गया कि विभिन्न न्यायालयों में संघ के विरूद्व चल रहे वाद का विवरण निम्नप्रकार है :-
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>न्यायालय का नाम</th><th>वाद संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>माननीय सर्वोच्च न्यायालय</td><td>01</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर</td><td>25</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>माननीय श्रम न्यायालय, बीकानेर</td><td>06</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>अन्य न्यायालय</td><td>19</td></tr>
</table></td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>17</td><td></td><td>17. क्या संस्था में प्रोविडेन्ड फण्ड/ई.एस.आई./ग्रेच्युटी के नियम लागू है? क्या संस्था द्वारा नियमानुसार अंशदान जमा किया जा रहा है? जांच कर टिप्पणी अंकित करें।
ऑडिट अवधि के दौरान संघ द्वारा अपने कार्मिकों का प्रोविडेन्ड फण्ड/ई.एस.आई. नियमानुसार अंशदान निर्धारित समय अवधि में जमा करवाया जाता है। संस्था ने एल.आई.सी., जोधपुर में ग्रेच्युटी कोष बना रखा है। ग्रेच्युटी अधिनियम के प्रावधान अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा रहा है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td>18. क्या लेखा परीक्षा अवधि में बोनस एवं एक्सग्रेसिया अवार्ड दिया गया है। यदि हां, तो नियमानुसार दिया है, अपनी टिप्पणी देवें।
ऑडिट अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2014-15 का बोनस/एक्सग्रेसिया 8.33 प्रतिशत का भुगतान बोनस अधिनियम के अनुसार किया जाना पाया गया है। बोनस/एक्सग्रेसिया एपेक्स संस्थान आरसीडीएफ के द्वारा प्रसारित निर्देशानुसार किया जाता है। संघ के संचालक मण्डल बैठक दिनांक 14.10.2015 के प्रस्ताव व निर्णय संख्या 194(12.9) में बोनस/एक्सग्रेसिया दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>19</td><td></td><td>19. सदस्यता :-
(अ) आलौच्य वर्ष में बनाये गये नवीन एवं पृथक किये गये सदस्यों के संबंध में निम्न तालिका में</td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>ऑडिट रिपोर्ट</th><th>अनुपालना</th><th>अंकेक्षक टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>सूचना देवें।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>"अ" श्रेणी</th><th>"ब" श्रेणी</th><th>"स" श्रेणी</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>1</td><td>वर्ष के प्रारम्भ में सदस्यता</td><td></td><td></td><td></td><td>838</td></tr>
<tr><td>2</td><td>वर्ष में बनाये कुल सदस्य</td><td></td><td></td><td></td><td>24</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वर्ष के पृथक हुए सदस्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>वर्ष के अन्त में शेष सदस्य</td><td></td><td></td><td></td><td>862</td></tr>
</table>
ऑडिट अवधि के दौरान संघ द्वारा 24 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को संघ की सदस्यता प्रदान की है।
ऑडिट अवधि के दौरान सदस्यों के वर्गीकरण श्रेणी अनुसार सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है, अतः इस संबंध में कुछ भी कहने में असमर्थ है।
(ब) नये बनाये गये सदस्य तथा पृथक किये सदस्यों के विषय में अधिनियम/नियम/पंजीकृत उपविधियों की पालना की है या नहीं?
ऑडिट अवधि के दौरान संघ द्वारा 24 दुग्ध समितियों को सदस्यता दी गई एवं किसी भी सदस्य समिति को पृथक नहीं किया गया। अधिनियम/नियम/पंजीकृत उपविधियों के अनुसार पाया गया।</td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>20</td><td></td><td>20. क्या संस्था द्वारा प्रत्येक श्रेणी की सदस्यता के लिए सहकारी नियम 14(1) में वर्णितानुसार सदस्यता रजिस्टर प्रचलित कर पूर्ण कर रखे गये है। परीक्षक कर पूर्णता/अपूर्णता के संबंध में टिप्पणी करें।
ऑडिट अवधि के दौरान संघ द्वारा सदस्यता प्रदान की जाने वाली समितियों का विवरण एक रजिस्टर में संधारित किया जाता है। जो तातारीख तक पूर्ण पाया गया है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>21</td><td></td><td>21. क्या हिस्सा रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित और पूर्ण है? लेखा परीक्षा अवधि में सदस्य प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से हिस्सा राशि पेटे काटी गई या प्राप्त राशि का विवरण अंकित करें।
ऑडिट अवधि के दौरान सदस्य प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से हिस्सा राशि पेटे 7,77,236.16/- रूपये काटे गये है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>22</td><td></td><td>22. क्या लेखा परीक्षा अवधि में कोई हिस्सा राशि हस्तान्तरित की गई है। हिस्सा हस्तान्तरण विधिवत</td><td></td><td></td></tr>
</table>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		किया गया है एवं संबंधित रजिस्टर में आवश्यक इन्द्राज कर दिये गये है। ऑडिट अवधि के दौरान किसी भी सदस्य समिति का किसी दूसरी सदस्य समिति को हिस्सा राशि हस्तान्तरण का ना कोई आवेदन प्राप्त होना पाया गया और ना ही हस्तान्तरण किया गया।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
23		23. क्या सदस्यों को उनके हिस्सों के प्रमाण पत्र जारी कर दिये है। लेखा परीक्षा वर्ष के प्रारम्भ में व अन्त में हिस्सा आवंटन राशि का विवरण अंकित करें। ऑडिट अवधि के दौरान 7,61,200/- रूपये के हिस्सा प्रमाण पत्र सदस्य समिति को जारी किये गये। ऑडिट अवधि के प्रारम्भ दिनांक 01.04.2015 में सदस्य समिति हिस्सा राशि 27,99,900/- रूपये थी, वर्ष के अन्त दिनांक 31.03.2016 में हिस्सा राशि का शेष 35,61,100/- रूपये पाया गया।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
24		24. लेखा परीक्षा अवधि में प्राप्ति एवं भुगतान की समस्त प्रविष्टियों का मिलान संबंधित प्रमाण पत्रों से कर परिणाम लिखें। ऑडिट अवधि के दौरान प्राप्ति एवं भुगतानों के प्रविष्यिों की जांच नमूना जांच आधार पर की गई। जो लेखा विधान के अनुरूप पाई गई।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
25		व्यापार संबंधी (संघ या फैडरेशन इकाई) 25. 1. संस्था की विभिन्न अनुभागों की कार्यप्रणाली एवं कार्यो की जांच कर विस्तृत परिणामों को अंकित करें। संस्था का अन्तिम व्यापारिक स्टॉक 811.07 लाख रू0 से रहा है जो कुल माल विक्रय का 05.95 प्रतिशत है। अंतिम स्टॉक गत वर्ष की तुलना में 846.41 लाख रू0 से कम रहा है। अंतिम व्यापारिक स्टॉक में संस्था द्वारा विक्रय की जाने वाली व अन्य विविध सामग्री शामिल है जिसका वर्ष के अन्त में भौतिक सत्यापन संस्था से प्राप्त सूची अनुसार किया गया है। संघ में पैकिग मेटेरियल की खपत का उत्पादन एवं बिक्री के आंकड़ो से मिलान करने की कोई पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। उत्पादन विभाग में पैकिंग मेटेरियल तथा दुग्ध व अन्य उत्पादों के स्टाक रजिस्टर तक अलग से संधारित नहीं है। पैकिंग मैटीरीयल, स्टोर एवं स्पेयर पार्टस आदि की खरीद के लिये स्टॉक की अधिकतम व न्यूनतम सीमा तय नही है। इस कारण संघ में इनका स्टॉक अधिक या कम रहना स्वाभिक है। संघ प्रबन्धन को जागरूक व सक्रिय हो कर संघ हित में भण्डारण	अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		व्यवस्था को और बेहतर किया जाना अपेक्षित है।		
		2. उत्पादन इकाईयां :-		
		अ. संस्था के प्राधिकार में संचालित उत्पादन इकाईयों की स्थापना कब हुई? क्या संस्था द्वारा इसे स्वयं स्थापित किया गया है अथवा बनी बनाई फैक्ट्री को खरीदा गया अथवा लीज पर लेकर चालाया जा रहा है ?		
		उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0, बीकानेर की संस्थापना वर्ष 1972 में हुई। संस्था का स्वयं का संयंत्र है।	अंकेक्षण महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		ब. उक्त उत्पादन इकाईयों में किस-किस वस्तु या माल का उत्पादन किया जाता है? इनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है?		
		संस्था में मुख्य रूप से दुग्ध से बने उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। जिसमें मुख्य रूप से दूध, छाछ, पनीर, दही, लस्सी, श्रीखण्ड, घी, एस.एम.पी. व अन्य उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। संस्था में दुग्ध संकलन की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन है।	अंकेक्षण महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		स. इन उत्पादन इकाईयों के मुख्य कार्यकारी कौन-कौन है?		
		ऑडिट अवधि के दौरान संयंत्र में प्रभारी श्री आर.के. सुथार अप्रैल, 2015 से अक्टूबर, 2015 एवं श्री अजय कुमार नवम्बर, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक कार्यरत रहे।	अंकेक्षण महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		द. उत्पादन इकाईयों को वर्ष में अधिक से अधिक कितने दिन चलाया जा सकता है? तथा लेखा परीक्षा अवधि में उसकी क्षमता का पूरा उपयोग किया गया है। यदि नही तो क्या कारण है? क्या उत्पादन इकाई की अनावश्यक रूप से बन्द रखा गया है? यदि हां तो, उससे कितनी हानि हुई है व उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार है? दायित्व का निर्धारण करें।		
		ऑडिट अवधि के दौरान पाया गया कि जिले में प्राईवेट डेयरियों से उरमूल का व्यापक प्रतिस्पर्धा रही है। जिससे संघ का दुग्ध संकलन भी प्रभावित होता है। जहां तक उत्पादन इकाईयों के संचालन का प्रश्न है वर्ष भर में उत्पादन इकाईयों को चलाया जाना पाया गया है। वित्तीय वर्ष में संघ का औसत दुग्ध संकलन प्रतिदिन 79665 लीटर रहा है।	अंकेक्षण महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		य. क्या कच्चे माल से उत्पादन के समय होने वाली छीजत के संबंध में उत्पादवार मापदण्ड निर्धारित है? यदि हां तो, क्या उससे अधिक छीजत हुई है? यदि हां, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है?		

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		दायित्व निर्धारित करें।		
		आरसीडीएफ के द्वारा छीजत के संबंध में मापदण्ड निर्धारित किये हुए है। ऑडिट अवधि के दौरान छीजत को निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाया गया है। संघ के द्वारा तैयार किया गया फैट एस.एन.एफ. मानचित्र रिपोर्ट के साथ संलग्न है।	अंकेक्षण महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		र. क्या कच्चे माल तथा तैयार माल के भण्डारण की उचित सुविधा है? यदि नहीं तो इसके अभाव में उत्पादन इकाई को कितने माल की हानि उठानी पड़ी है तथा उसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है?		
		संघ में दुग्ध को रखने के लिए साईलो बने हुए है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में दुग्ध का भण्डारण किया जा सकता है। दुग्ध उत्पाद के भण्डारण के लिए भी कॉल्ड स्टोर इत्यादि की समुचित व्यवस्था है।	अंकेक्षण महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		ल. क्या कच्चे माल से प्राप्त होने वाले तैयार माल का प्रतिशत मापदण्ड के अनुसार है? यदि नहीं तो, उसका क्या कारण है? कच्चे माल का स्तर हल्का होने से तो यह कमी नहीं आई है? यदि हां तो, हल्के स्तर का कच्चा माल खरीदने के लिए कौन जिम्मेदार है? दायित्व का निर्धारण करें। यदि अन्य कोई कारण हो तो भी विस्तृत टिप्पणी करें।		
		संघ के द्वारा दुग्ध खरीद के संबंध में निति-निर्धारण गुणवता का स्तर आरसीडीएफ के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जिसके लिए एक रेट चार्ट तैयार कर सभी समितियों में वितरित किया जाता है। जिसमें दुग्ध का मूल्य फैट व एस.एन.एफ. के स्तर पर निर्धारित होता है। संघ में कच्चे दुग्ध खरीद का कार्य तकनीकी आदान एवं कृषक संगठन द्वारा किया जाता है।	अंकेक्षण महोदय की तथ्यात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		व. क्या उत्पादन इकाई में स्थापित मशीन एवं कलपुर्जो का वर्ष के अन्त में भौतिक सत्यापन कराया जाता है? यदि हां तो, उसकी रिपोर्ट की जांच कर परिणाम लिखे। ऑडिट के समय भी उस रजिस्टर के कम से कम 10 प्रतिशत आइटमों का स्वयं भौतिक सत्यापन करें। समय-समय पर बदले जाने वाले कलपुर्जो का हिसाब सही रखा गया है अथवा नहीं, जांच कर परिणाम लिखें।		
		संघ के द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन 31 मार्च, 2016 को भौतिक सत्यापन किये जाने के लिए कमेटियों का गठन किया गया। कमेटियों के द्वारा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भौतिक सत्यापन की टीम ने रिकार्ड संधारण एवं भौतिक रूप से स्टोरर्स एवं स्टॉक, संयंत्र मशीन, कलपुर्जे को सही-सही पाया है। संयंत्र पर समय-समय पर बदले जाने वाले कलपुर्जो का भण्डार	संस्थागत विकास अधिकारी, जयपुर के द्वारा कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।	संस्थागत विकास अधिकारी महोदय द्वारा कार्यवाही न होने तक पूर्ति मान्य नहीं है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी

शाखा द्वारा पूर्ण रिकार्ड संधारित किया जाता है। ऑडिट अवधि के दौरान कुछ आईटमों का भौतिक सत्यापन किया गया, जो सही मात्रा में पाये गये।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में जांच के दौरान पाया गया कि Mes Almed Laboratries Pvt. Ltd. को एक क्रय आदेश क्रमांक : 15792 दिनांक 08.01.2016 जारी किया गया है जो कि Purchase Indent No. 351 दिनांक 08.01.2016 के तहत जारी किया गया है। Purchase Indent 1,00,000 श्रीखण्ड कप का है एवं उसी के अनुसरण में क्रय आदेश क्रमांक : 15792 दिनांक 08.01.2016 जारी किया गया है। एक अन्य क्रय आदेश क्रमांक : 16375 दिनांक 01.02.2016 30,000 श्रीखण्ड कप की आपूर्ति हेतु Mès Almed Laboratries Pvt. Ltd. को जारी किया गया है। जिसका कोई Purchase Indent संयंत्र प्रभारी द्वारा क्रय विभाग को नहीं दिया गया है। जिसकी स्वीकृति नोटशीट के पैरा संख्या 43 व 44 पर क्रय विभाग द्वारा यह कहते हुए प्राप्त की है कि चुंकि पार्टी ने 1,00,000 कप के आदेश के विरूद्व 1,30,000 कप निर्माण कर दिये है। अतः 30,000 का अतिरिक्त क्रय आदेश जारी किया जाना है।

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में श्रीखण्ड के उत्पादन के अनुरूप श्रीखण्ड कपों का उपयोग निम्न प्रकार से रहा है :-

वर्ष	कप उपयोग
2014-15	23,180
2015-16	36,420

उपरोक्त से स्पष्ट है कि औसतन प्रतिवर्ष 35 से 36 हजार श्रीखण्ड कपों का उपयोग होता है एवं 1,00,000 श्रीखण्ड कपों का एक मुश्त क्रय आदेश जारी करना यानि लगभग 3 वर्षो का पैकिंग मेटेरियल एक साथ मंगवाना किसी भी प्रकार से तर्क संगत एवं संस्था हित में नहीं है। इसके उपरान्त भी पार्टी द्वारा 30,000 कपों के अतिरिक्त निर्माण पर एक अन्य क्रय आदेश जारी किया जाना सीधे-सीधे संस्था के हित की अनदेखी करते हुए पार्टी के हितों को ध्यान में रखा जाना दर्शाता है। यह और भी गंभीर तब होता है जब संस्था तरलता की कमी हो। यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीखण्ड कप प्लास्टिक का बना होता है एवं लगातार तीन से चार वर्ष तक भण्डारण पर उसकी

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		गुणवत्ता में निश्चित रूप से निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डो के अनुरूप नहीं रह पाती है जो सीधे-सीधे भविष्य में संस्था को आर्थिक नुकसान ही देगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रभारी (क्रय) द्वारा संस्था हितो को दरकिनार करते हुए एवं वास्तिविक तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए पार्टी विशेष को लाभ पहुचाने के लिए कार्य किया गया है। तत्कालीन प्रबंध संचालक से उक्त खरीद को स्वीकृत भी करवाया गया है। अतः संस्था को होने वाली आर्थिक हानि रूपये 40,955/- की वसूली तत्कालीन प्रभारी (क्रय) श्री के.के. सोनी के विरूद्व राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 57 के अन्तर्गत प्रस्तावित की जाती है।		
26		26. उत्पादन इकाई हेतु कच्चे माल संग्रहण :- 1. (अ) दुग्ध संग्रह हेतु कितने केन्द्र (अवशीतन केन्द्र, बी.एम.सी. एवं प्राथमिक संग्रह केन्द्र) है एवं कहां-कहां पर स्थित है? क्या कोई संग्रह कार्यक्षेत्र से बाहर भी स्थित है या स्थापित किये गये है? विवरण अंकित करें। संघ के पास निम्न अवशीतलन केन्द्र है :- 1. श्रीडूंगरगढ़ 2. खाजूवाला 3. लूणकरणसर 4. बज्जू 5. छतरगढ़ कार्यक्षैत्र से बाहर कोई अवशीतलन केन्द्र स्थापित नहीं है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		(ब) क्या ये केन्द्र/सदस्य सहकारी समितियां है अथवा किसी व्यक्ति विशेष को नियोजित किया है। ऑडिट अवधि के दौरान किसी भी केन्द्र/सदस्य सहकारी समिति अथवा व्यक्ति विशेष को नियोजित नहीं किया गया है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		2. अ. दुग्ध संग्रह केन्द्रों (अवशीतन केन्द्र, बी.एम.सी. एवं प्राथमिक संग्रह केन्द्र) से दुग्ध एकत्रित करने की क्या व्यवस्था है? यदि दुग्ध संग्रहण करने हेतु यातायात का ठेका दिया गया है, तो क्या ठेकेदार एवं संघ के बीच हुए अनुबन्ध की शर्तो की पालना की जा रही है। जांच कर टिप्पणी करें। संघ के दुग्ध अवशीतलन केन्द्र एवं मुख्य संयंत्र के कार्यक्षैत्र की दुग्ध समितियों एवं प्रस्तावित दुग्ध समितियों से दुग्ध परिवहन करने के लिए निविदा आमंत्रित कर परिवहन कार्य ठेका किया गया। जिसका एक अनुबंध हुआ है। ऑडिट अवधि के दौरान अनुबंधों का परीक्षण करने पर पाया गया	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		कि अनुबंध शर्तो की पालना हो रही है। ब. क्या उक्त निर्धारित दुग्ध परिवहन मार्गो पर दुग्ध परिवहन निर्धारित मार्गो से ही किया जा रहा है? ऑडिट अवधि के दौरान पाया गया कि निर्धारित दुग्ध परिवहन मार्गो से ही दुग्ध परिवहन किया जा रहा है एवं दुग्ध मार्गो की समय-समय पर समीक्षा की जाकर मार्गो में परिवर्तन संघ हित में किया जाता है। द. क्या यातायात ठेकेदार की भूल/गलती से खराब होने वाले दुग्ध की घटत की कीमत मय पैन्ल्टी के समय पर ठेकेदार से वसूल की जाती है, टिप्पणियां अंकित करें। यातायात ठेकेदार द्वारा भूलवंश/गलती से दूध यदि खराब होता है या घटता है, तो उसकी कटौती उसके बिलों में से कर ली जाती है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी। अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है। पूर्ति मान्य है।
27		27. दुग्ध क्रय करने की दर क्या है। यदि दर फैट के आधार पर निश्चित की गई है, तो उसके निर्धारित करने की औचित्यता पर टिप्पणी करिये। क्या इसकी स्वीकृति संचालक मण्डल द्वारा प्राप्त कर ली गई है। ऑडिट अवधि के दौरान पाया गया कि दुग्ध क्रय के दरों का निर्धारण आरसीडीएफ की स्वीकृति से किया जाता है। जिसका अनुमोदन संचालक मण्डल द्वारा भी किया जाता है। ऑडिट अवधि के दौरान दुग्ध खरीद मूल्यों में किये गये परिवर्तन की स्वीकृति संचालक मण्डल से एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप पाई गई है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
28		28. अ. दुग्ध खरीद की प्रतिदिन का औसत क्या है। आवश्यक खर्चे का ध्यान रखते हुए क्या दुग्ध की मात्रा दैनिक/न्यूनतम यातायात खर्चो के वहन करने की दृष्टि से पर्याप्त है। यदि नहीं तो सुझावात्मक टिप्पणी अंकित करें। सुविधानुसार प्रत्येक दुग्ध पथ के मासिक संकलन व व्यय की सूची लेकर निष्कर्ष निकालें। संस्था द्वारा प्रतिदिन 79665 किलो/लीटर दुग्ध संकलन किया जाता है। यह संकलन प्लान्ट की क्षमता का 53.11 प्रतिशत है। इसे बढाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए। जबकि संस्था की स्थाई व्यय यथावत रहते है एवं समय-समय पर उनमें वृद्वि होती है। इसको ध्यान में रखते हुए संस्था की दूध संकलन में वृद्वि किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। संघ प्रबंधन को चाहिए कि कृषक	अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		संगठन एवं तकनीकी आदान गतिविधियों को बढ़ावा दे। संघ के कृषक संगठन विभाग की गतिविधि प्रभावी नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि समितियों का प्रभावी पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं निर्देशन कार्य हो। तकनीकी आदान गतिविधियां पूर्ण रूप से ठप प्राय है। संघ को पूर्व की भांति पशु-चिकित्सा, मोबाईल चिकित्सा, मिनरल मिक्सचर इत्यादि की प्रभावी व्यवस्था अपने संसाधनों के अनुरूप की जाने की आवश्यकता है।		
29		29. दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद बिक्री की स्थानीय व्यवस्था क्या है। क्या संघ/फेडरेशन ने अपने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद के लिए। (अ) बिक्री केन्द्र स्थापित किये गये है अथवा कमीशन के आधार पर? कोई अन्य वितरण केन्द्र नियुक्त किये है, तो उनसे आवश्यक सिक्यूरिटी प्राप्त कर ली गई है। संघ के द्वारा वितरक के माध्यम से नगर के बूथों पर माल का विक्रय एवं वितरित किया जाता है। वितरक को एक निर्धारित दर पर उत्पाद दिये जाते है तथा बूथो पर निर्धारित दर पर माल उपलब्ध करवाया जाता है। संघ में बूथ आवंटन के समय सिक्यूरिटी राशि जमा करवाई जाती है। यह पाया गया कि विपणन विभाग द्वारा खोले गये बूथ में से कुछ बन्द हो जाते है, जो पुनः शुरू नहीं हो पाते है। एक बड़ी संख्या में बन्द बूथ की धरोहर राशि जमा है। संघ के संचालक मण्डल ने प्रतिवर्ष बूथो को रिव्यू करने का निर्णय किया गया है। जिससे बूथ सक्रिय रूप से संचालित हो। ऐसे बूथ जो बन्द है, जिनकी पुनः संचालित होने की संभावना नहीं है, कि धरोहर राशि के संबंध में नियमानुसार निर्णय किया जाना संघ हित में आवश्यक है। (ब) वितरण केन्द्रों के हिसाब सही प्रकार रखे जाते है अथवा नहीं। क्या दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद बिक्री की राशि प्रतिदिन जमा कराई जाती है, यदि किसी केन्द्र पर इस प्रकार की बकाया है, तो इसका विवरण लेकर तालिका में दे व कारणों के औचित्य पर टिप्पणी करते हुए दायित्व निश्चित करें। संघ में वितरण हेतु दुग्ध परिवहन ठेकेदार निविदा आमंत्रित कर अनुबंधक के रूप में नियुक्त किये जाते है एवं उनसे माल का सम्पूर्ण भुगतान पहले नगद प्राप्त कर फिर माल उनको दिया जाता है। परिवहन ठेकेदार उस माल का वितरण आगे नगद भुगतान प्राप्त कर संबंधित बूथों को विक्रय हेतु प्रदान कराता है। संघ का परिवहन ठेकेदार पर किस प्रकार का बकाया नहीं है।	अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है। सुझाव पर कार्यवाही करने के निर्देश प्रभारी विपणन को पत्र क्रमांक : 19758 दिनांक 9.3.2017 के द्वारा दिये गये है। अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है। पूर्ति मान्य है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>ऑडिट रिपोर्ट</th><th>अनुपालना</th><th>अंकेक्षक टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(स) फैट आधारित दुग्ध एवं अन्य दुग्ध उत्पादों को किस दर से बिक्री किया जाता है। क्या इस बिक्री दर का निर्धारित संचालक मण्डल से करा लिया गया है।
दूध एवं दूध उत्पाद का विक्रय मूल्य संघ द्वारा तय किया जाता है, परन्तु घी एवं एस.एम.पी. का विक्रय मूल्य आरसीडीएफ, जयपुर द्वारा तय किया जाता है। संघ द्वारा जिन उत्पादों का विक्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है, कि पुष्ठि संचालक मण्डल में करवाई जाती है।
(द) संघ अथवा उसकी शाखाओं या फैडरेशन इकाईयों द्वारा दुग्ध एवं अन्य दुग्ध उत्पादों की वितरण केन्द्रों से दैनिक मांग प्राप्त की जाती है अथवा अनुबन्ध करते समय कोई मात्रा निश्चित की हुई है। लेखा परीक्षा अवधि में ऐसा कोई मामला तो आपकी जानकारी में नही आया जिसमें दुग्ध एवं अन्य दुग्ध उत्पाद वितरण केन्द्र से वापस आया हो। क्या संघ को उससे हानि हुई है? दायित्व निर्धारण हेतु विस्तृत टिप्पणी करें।
संघ के परिवहन ठेकेदार द्वारा प्रति पारी सभी बूथों संचालकों से मांग अग्रिम प्राप्त किया जाता है। उसके अनुरूप ही माल का वितरण अगली पारी में किया जाता है। मांग ज्यादा या कम होने पर वितरण उस अनुरूप किया जाता है। वर्तमान में संघ में वितरण केन्द्र से वापस आये माल की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।

अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति उचित है।</td></tr>
<tr><td>30</td><td></td><td>30. संघ या फैडरेशन में दुग्ध एवं अन्य उत्पाद यथा–क्रीम घी टोन्ड दुग्ध या अन्य उत्पादनों के संबंध में व्यापार खाते पर टिप्पणी के बारे में निम्न पर आर्थिक समीक्षा करें।
व्यापार खाता :–
संस्था के व्यापार की गत तीन वर्षो की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :–
(राशि लाखों में)
<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>विवरण</th><th>2013–14</th><th>2014–15</th><th>2015–16</th></tr>
<tr><td>1</td><td>विक्रय लागत</td><td>11811.85</td><td>11943.22</td><td>11615.36</td></tr>
<tr><td>2</td><td>विक्रय</td><td>13364.84</td><td>13755.48</td><td>13642.72</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सकल लाभ</td><td>1552.99</td><td>1812.26</td><td>2027.37</td></tr>
<tr><td>4</td><td>सकल लाभ का बिक्री से प्रतिशत</td><td>11.62</td><td>13.17</td><td>14.86</td></tr>
</table></td><td>अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।</td><td></td></tr>
</table>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी

ऑडिट अवधि में संस्था के विक्रय लागत में 327.86 लाख रू0 की कमी हुई है तथा विक्रय में भी 112.26 लाख रू0 की कमी हुई है। सकल लाभ में गत वर्ष की तुलना में 215.11 लाख की वृद्वि हुई है।

लाभ हानि खाता :-

ऑडिट अवधि में सस्था 101.77 लाख रू0 की शुद्व लाभ में रही है। ऑडिट अवधि में दिये गये विवरणानुसार सैण्ड्री डटर्स की बकाया राशि 7.14 लाख हेतु सन्देहात्मक/बट्टा खाता कोश प्रावधान किया जाना चाहिए जो किया हुआ नहीं है।

सेण्ड्री डेटर्स की राशि का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। कोष प्रावधान किया जाना अपेक्षित

अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।

पूर्ति मान्य है।

	विवरण	देनदार	प्रावधान
(1)	1 से 3 वर्ष	41614491.47	-
(2)	3 से 6 वर्ष (50 प्रतिशत)	532975.30	266487.65
(3)	6 वर्ष से अधिक(100प्रतिशत)	447440.58	447440.58
	योग-	42594907.55	713928.33

सैण्ड्री डेटर्स की उक्त बकाया राशि 7.14 लाख हेतु सन्देहात्मक/ बट्टा खाता कोश प्रावधान नहीं किया गया है।

संस्था गत तीन वर्षो से निरतर लाभ में चल रही है । गत आठ वर्षो से निरन्तर लाभ का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :- (राशि लाखो में)

क्र.सं.	वित्तिय वर्ष	शुद्व हानि/लाभ	संचित हानि
1	2008-2009	-619.55	-2900.68
2	2009-2010	-381.15	-3281.83
3	2010-2011	-396.39	-3678.22
4	2011-2012	+188.06	-3490.16
5	2012-2013	+150.67	-3339.49
6	2013-2014	+70.27	-3269.22

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी

7	2014-2015	+107.96	-3161.26
8	2015-2016	+101.77	-3059.49

वर्ष 2015-2016 के अन्त तक संस्था की कुल संचित हानि 3059.49 लाख रू0 की हो चुकी है। परन्तु ऑडिट अवधि में संस्था ने 101.77 लाख का लाभ प्राप्त किया है, इसके निरन्तरता बनाये रखने के अथक प्रयास जारी रहने चाहिये। संस्था के लाभ में वृद्धि हेतु निम्न सूझाव पर कार्यवाही अपेक्षित है :-

1. संस्था के प्लांट की क्षमता 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन है। ऑडिट अवधि में प्रतिदिन औसत 79665 किलो प्रतिदिन दुग्ध ही संकलित हुआ है। दुग्ध के कम संकलन से प्लांन्ट व मशीनरी की क्षमता का 53 प्रतिशत (53.11) से भी कम उपयोग हो पा रहा है, जबकि इस पर होने वाले स्थायी व्यय यथावत् रहे है अथवा उनमें वृद्धि हुयी है। संघ को दुग्ध संकलन में वृद्धि की जानी चाहिये।

अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी। संघ में दूध संकलन को बढ़ाने के लिए नियमित प्रयास किये जाते रहे है।

पूर्ति मान्य है।

2. संस्था की दूध संकलन में वृद्वि किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। संघ प्रबंधन को चाहिए कि कृषक संगठन एवं तकनीकी आदान गतिविधियों को बढ़ावा दे। संघ के कृषक संगठन विभाग की गतिविधि शून्यप्राय है। इसलिए यह आवश्यक है कि समितियों का प्रभावी पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं निर्देशन कार्य हो। समिति पर नियमित टेस्टिंग हो, रिकार्ड खरीद बिक्री, रोकड़ इत्यादि का नियमित लेखा संधारण हो। तकनीकी आदान गतिविधियां पूर्ण रूप से ठप प्राय है। संघ को पूर्व की भांति पशु-चिकित्सा, मोबाईल चिकित्सा, मिनरल मिक्सचर इत्यादि की प्रभावी व्यवस्था अपने संसाधनों के अनुरूप की जाने की आवश्यकता है।

अंकेक्षण महोदय की सुझावा अनुसार समुचित एवं प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रभारी पीएण्डआई को पत्र क्रमांक : SP01 दिनांक 1.3.17 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

पूर्ति मान्य है।

3. ऑडिट अवधि में कुल विक्रय किये गये दुग्ध का लगभग 28 प्रतिशत भाग ही सिटी सप्लाई में प्रयुक्त हुआ है। सिटी सप्लाई में दुग्ध बिक्री करना संध के लिये अधिक लाभदायक है तथा माल की राशि भी अग्रिम प्राप्त होती है अतः संध प्रबन्धन को सिटी सप्लाई में अधिकतम दुग्ध बिक्री करने हेतु कार्य योजना तैयार कर उसे कुशलतापूर्वक लागू करने के प्रयास करने चाहिये।

अंकेक्षण महोदय की सुझावा अनुसार दुग्ध बिक्री को बढ़ाने के लिए सक्रिय एवं प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रभारी विपणन को निर्देश पत्र क्रमांक : 19758 दिनांक 9.3.17 के द्वारा जारी कर दिया गया है।

पूर्ति मान्य है।

4. संस्था को दुग्ध संकलन के अनुपात में ही खर्चो पर नियंत्रण किया जाना चाहिये।

अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।

पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		5. संघ का डेयरी संयत्र लगभग 31 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है तथा इसके आधुनिकरण की और बिल्कुल ध्यान नही दिया गया है इसके अभाव में संघ के उत्पादन की क्षमता व लागत प्रभावित हुई है। पुरानी तकनीक एवं मशीनरी के कारण संघ की उत्पादन लागत भी अनावश्यक रुप से बढी है जिससे संघ को अपने व्यवसाय में वाछित लाभ नही हो रहा है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		6. संघ के उत्पादन विभाग में प्रयुक्त होने वाले पैकिगं मैटीरियल व अन्य कैमिकल्स आदि की खपत बाबत विधिवत अलग से विभागवार रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाता है। संघ प्रबन्धन इस ओर ध्यान देकर विधिवत रिकार्ड संधारण करवायें।	संघ में पैकिंग मैटीरियल, कैमिकल्स इत्यादि सामग्री का पूर्ण खरीद एवं उपभोग विवरण संघ के संयंत्र में स्थित भण्डार में संधारित किया जाता है।	पूर्ति मान्य है।
31		31. क्या लेखा परीक्षा अवधि में संस्था द्वारा विक्रय हेतु दुग्ध कार्यक्षेत्र से बाहर भेजा गया? हां तो संघ/फैडरेशन एवं इस वितरक के बीच क्या शर्ते निर्धारित की गयी है? क्या निर्धारित शर्तो की पालना की गई है? यदि नहीं तो विस्तृत टिप्पणी करें।		
		ब्रिकी का कार्य संघ के कार्य क्षैत्र में ही किया जाता है। संघ के कार्यक्षैत्र के बाहर बिक्री का कार्य आरसीडीएफ के नियमों के अनुरूप ही किया जाता है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		(ख) लेखा परीक्षा अवधि में दुग्ध, घी व क्रीम पशु-आहार एवं अन्य आदान आदि के क्रय-विक्रय में हुई घटौतरी का निम्न प्रारूप में सूचना दें। यदि अधिक मात्रा में घटौतरी हुई है, तो इस संबंध में माहवारी तालिका देकर संस्था द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है। टिप्पणी अंकित करें :-		
		आरसीडीएफ के द्वारा छीजत के संबंध में मापदण्ड निर्धारित किये हुए है। ऑडिट अवधि के दौरान छीजत को निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाया गया है। संघ के द्वारा तैयार किया गया फैट एस. एन.एफ. मानचित्र रिपोर्ट के साथ संलग्न है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
32		32. अ. स्टॉक का भौतिक सत्यापन समय-समय पर अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाता है अथवा नहीं। लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध सामान का 10 प्रतिशत सत्यापन करें, परिणाम लिखे।		
		संघ के द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन 31 मार्च, 2016 को भौतिक सत्यापन किये जाने के लिए कमेटियों का गठन किया गया। कमेटियों के द्वारा भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भौतिक सत्यापन की टीम ने रिकार्ड संधारण एवं भौतिक रूप से स्टोरर्स एवं स्टॉक, संयंत्र मशीन, कलपुर्जे को सही-सही पाया है। संयंत्र पर समय-समय पर बदले जाने वाले कलपुर्जो का भण्डार	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		शाखा द्वारा पूर्ण रिकार्ड संधारित किया जाता है। ऑडिट अवधि के दौरान कुछ आईटमों का भौतिक सत्यापन किया गया, जो सही मात्रा में पाये गये। ब. क्या संस्था में स्कन्ध (स्टॉक) की जांच की पूरी व्यवस्था है? क्या स्कन्ध रखने वाले व्यक्ति से उचित प्रतिभूति ली हुई है? क्या अन्तिम स्कन्ध के मूल्यांकन की विधि प्रतिवर्ष समान रहती है अथवा उसमें परिवर्तन होता रहता है? मूल्यांकन की विधि क्या आयकर विधि के अनुसार सही है? लेखा परीक्षा के समय उपलब्ध स्कन्ध की आप स्वयं जांच करें और परिणाम लिखें? क्या स्कन्ध का उचित बीमा करा रखा है? संस्था में स्कन्ध एवं स्टोर कीपर व रोकड़पाल के बीमा के संबंध में समस्त दस्तावेज उपलब्ध है। जिसमें पर्याप्त मात्रा में बीमा किया हुआ पाया गया है। स. वर्ष के अन्त में संस्था के व्यापारिक स्कन्ध की मदवार विगत अंकित करें। यदि स्कन्ध में अनुपयोगी मद हो तो उसकी मात्रा तथा मूल्य राशि अंकित करें। इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी का नाम अंकित करें। अनुपयोगी सामान की सूची संलग्न है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी। अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है। पूर्ति मान्य है।
33		33. लेखा परीक्षा अवधि में मजदूरी एवं खरीद खर्च कितनी राशि के हुए है। क्या उनका हिसाब सही प्रकार से रखा गया है? कुल माल खरीद क्या प्रतिशत है? लेखा परीक्षा अवधि में मजदूरी पर 2,10,03,849/- रूपये खर्च किये गये है। माल खरीद पर 89,82,64,850.61/- रूपये खर्च किये गये है। इस प्रकार मजदूरी माल खर्च का 2.34 प्रतिशत है तथा इनका हिसाब सामान्य लेखा विधि अनुरूप रखा गया है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
34		34. समिति में आलौच्य वर्ष में कितना सकल लाभ हुआ है? प्रदर्शित सकल लाभ के सही प्रदर्शन के संबंध में सकारण टिप्पणी देवें। यदि उक्त लाभ कम है तो सही कारण का पूर्ण विवेचन करते हुए इस पर टिप्पणी अंकित करें। ऑडिट अवधि में संस्था के विक्रय लागत में 327.86 लाख रू0 की कमी हुई है तथा विक्रय में भी 112.26 लाख रू0 की कमी हुई है। सकल लाभ में गत वर्ष की तुलना में 215.11 लाख की वृद्वि हुई है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
35		35. बिक्री केन्द्रों पर दुग्ध संस्था द्वारा निजी वाहनों अथवा किराये से लिये गये वाहनों के द्वारा पहुँचाया		

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		जाता है। यदि किराये के वाहनों से पहुँचाया है, तो किराया किस दर से निर्धारित किया गया है। संबंधित हिसाबों का परीक्षण कर परिणाम लिखें। लेखा परीक्षा अवधि में कितना परिवहन व्यय हुआ है, इसकी सकल लाभ से क्या प्रतिशत है। ऑडिट अवधि के दौरान दूध बिक्री केन्द्रों तक पहुचाने के लिए दुग्ध परिवहन का ठेका किया जाता है। जिसमें ठेके की शर्तो के अनुरूप परिवहन दर निर्धारित रहती है। वर्ष के दौरान परिवहन ठेके जो भी हुये है, उनका समस्त रिकार्ड विपणन शाखा में उपलब्ध है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
36		हानि–लाभ खाता :– 36. क्या ट्रंक काल रजिस्टर विधिवत प्रचलित कर रखा है? क्या प्रत्येक काल का इन्द्राज काल रजिस्टर में किया गया है। जांच कर पता लगाये कि कोई व्यक्तिगत काल तो नहीं किया गया है। यदि किया गया है, तो क्या इस संबंधित व्यक्ति से वसूली कर ली गई है। ऑडिट अवधि के दौरान संस्था द्वारा ट्रंक कॉल रजिस्टर नहीं रखा जा रहा है। सामान्यतः कॉल मोबाईल के द्वारा की जाती है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
37		37. (1) (अ) क्या संस्था के पास कार, जीप, ट्रक, टेक्टर व मोटरसाईकिल है। यदि हां, तो वाहनों के संबंध में नियम स्वीकृत करा लिये है एवं इनकी पालना की गई है। ऑडिट अवधि के दौरान संस्था के पास स्वयं की जीप, टेंकर इत्यादि है, जिन्हें नियमानुसार स्वीकृत करवा लिया गया है। (ब) वाहन किसके चार्ज में रहते है क्या प्रत्येक वाहन की लॉग बुक अलग–अलग एवं विधिवत रखी गई है। क्या लॉग बुक पूर्ण एवं अधिकारी द्वारा प्रमाणित है। क्या लेख परीक्षा अवधि में जीप या अन्य वाहन किराये पर ली है। यदि ली है, तो क्या किराये पर लगाने से पूर्व समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। ऑडिट अवधि के दौरान वाहन गैराज प्रभारी के अधिकार में रहते है जिसकी अलग लॉग बुक अलग–अलग एवं विधिवत रूप से रखी जाती है और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होती है। जो वाहन किराये पर लिये जाते है उनकी पूर्ण प्रक्रिया टेण्डर द्वारा संपादित की जाती है एवं प्रत्येक माह के बिल के साथ लॉग बुक उस माह की संलग्न होती है व सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होती है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी। अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है। पूर्ति मान्य है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>ऑडिट रिपोर्ट</th><th>अनुपालना</th><th>अंकेक्षक टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>(स) क्या वाहनों पर मरम्मत खर्चो का अलग से रजिस्टर रखा गया है, संस्था के कार्यो को देखते हुये वाहनों पर हुये व्यय पर टिप्पणी अंकित करें।
संस्था में वाहनों पर मरम्मत खर्चो का रिकार्ड गैराज शाखा में रखा जाता है। जो नियमानुसार रखा गया है।
(द) क्या लेखा परीक्षा अवधि में कोई वाहन क्रय किया है यदि हां तो क्या उसके लिये बजट का कोई प्रावधान था एवं संचालक मण्डल की स्वीकृति से लिये गये है।
ऑडिट अवधि के दौरान कोई वाहन क्रय नहीं किया गया है।
(2) (अ) संघ को विनियोजित राशि पर लाभांश प्राप्त हुआ है अथवा नहीं? यदि हां तो, किस-किस संस्था से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है?
संघ को आरसीडीएफ से रूपये 9,63,328.00 का लाभांश प्राप्त हुआ है।
(ब) संघ को कहीं से ब्याज प्राप्त हुआ है अथवा कहीं ब्याज का भुगतान करना पड़ा है? उसका पूर्ण विवरण देवें।
संस्था के द्वारा एचडीएफसी बैंक से लिये ऋण पर ऑडिट अवधि के दौरान 7,91,907.00 रूपये ब्याज का भुगतान किया गया है। संस्था को वर्ष के दौरान बचत खाता, बचत खाता लैक्सी एकाउन्ट, बिजली विभाग में जमा धरोहर राशि इत्यादि पर कुल 13,80,579.00 रूपये का ब्याज प्राप्त हुआ।</td><td>

अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।

अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।

अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।

अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>38</td><td></td><td>38. (अ) क्या वर्ष का बजट स्वीकृत करा लिया है। क्या बजट तथ्यों पर पारित था एवं उसका पूर्ण रूपेण पालन किया गया है। आय-व्यय के बारे में टिप्पणी अंकित करें।
बजट समीक्षा :- संस्था का वर्ष 2015-16 का बजट संचालक मण्डल एवं आमसभा की बैठक दिनांक 04.11.2015 में पारित किया गया है। स्वीकृत बजट तथा वास्तविक उपलब्धि/खर्च का सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।
(राशि लाखों में)
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>बजट अनुमान</th><th>वास्तविक</th><th>वृद्वि /कमी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कुल बिक्री</td><td>17453.91</td><td>13642.72</td><td>-3811.19</td></tr>
<tr><td>2</td><td>विक्रय लागत</td><td>15401.91</td><td>11615.35</td><td>-3786.56</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सकल लाभ</td><td>2052.58</td><td>2027.37</td><td>-25.21</td></tr>
<tr><td>4</td><td>शुद्व लाभ</td><td>22.91</td><td>101.77</td><td>+78.86</td></tr>
</table></td><td>संघ की आमसभा दिनांक 22.09.16 के एजेण्डा संख्या 30.3 में वित्तीय वर्ष 2015-16 में हुये वास्तविक खर्चो की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी

बजट तथा वास्तविक व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	बजट	वास्तविक	वृद्धि/कमी
1	समितियों से दुग्ध परिवहन	1504.61	765.63	-738.98
2	समितियों के सेस	256.79	159.96	-96.83
3	ईधन व डी जी सेट	390.00	194.87	-195.13
4	बिजली खर्च	241.20	192.30	-48.9
5	रसायन	16.32	15.87	-0.45
6	टैकर रिपेयरिगव ईधन	102.00	8.39	-93.61
7	लेबर	180.00	210.03	30.03
8	अन्य प्रोसेस चार्जेज	214.61	139.18	-75.43
9	पेकिगं मैटेरियल	396.86	260.01	-136.85
10	आरएमजी परिवहन	298.21	260.19	-38.02
11	सिटी सप्लाई परिवहन	112.42	24.10	-88.32
12	आरसीडीएफ सेस	84.50	105.07	20.57
13	वेतन एवं अन्य परिलाभ	1371.05	1386.35	15.3
14	मरम्मत एवं रखरखाव संयत्र	60.00	51.81	-8.19
15	मरम्मत एवं रखरखाव भवन	21.00	18.76	-2.24
16	ट्रेवलिंग एण्ड कन्वेन्स चार्जेज	8.76	6.67	-2.09
17	वाहन खर्च	30.00	17.32	-12.68
18	बीमा	9.00	4.19	-4.81
19	सैल्स प्रमोशन	8.40	0.07	-8.33
20	कार्यालय व्यय	138.70	109.16	-29.54
21	विविध व अन्य स्थाई खर्च	6.00	18.72	12.72
22	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	30.00	7.92	-22.08

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी

23	घिसावट	36.00	35.49	-0.51	
	कुल योग :–	5516.43	3992.06	-1524.37	

उपरोक्त से स्पष्ट है कि बजट व वास्तविक खर्चो में कोई तालमेल का अभाव है। संघ का बजट आर.सी.डी.एफ.लि. द्वारा वार्षिक कार्य योजना अन्तर्गत निर्धारित/स्वीकृत लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। संघ को भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ध्यान देना चाहिए। अधिक हुए खर्चो की स्वीकृति आगामी संचालक मण्डल/आमसभा से प्राप्त की जावे।

(ब) क्या कार्यालय व्यय, विविध व्यय आदि समस्त व्यय नियमानुसार किये गये है, जो खर्चे अनियमित एवं आपत्तिजनक हो उनके बारे में टिप्पणी अंकित करें।

संस्थापन व्यय :–

संस्था द्वारा अपने अधिकारियों/कर्मचारियों पर किये गये संस्थापन व्ययो का गत तीन वर्षो का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है। :– (राशि लाखों में)

अंकेक्षण महोदय की सामान्य सुझावात्मक टिप्पणी।

पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	वृद्वि/कमी
1	वेतन	931.27	1007.89	982.09	-25.80
2	ग्रुप ग्रेच्युटी	85.35	155.87	259.25	+103.38
3	ग्रुप इन्श्योरेन्स पॉलीसी	1.27	3.87	5.92	+2.05
4	पेशन कन्ट्रीब्यूशन	0.02	NIL	1.46	+1.46
5	ISO90012008 MMPO Exp.	0.18	0.21	1.69	+1.48
6	विज्ञापन एवं निविदा	16.42	6.91	13.47	+6.56
7	चीज व्यय	0.57	0.28	0.59	+0.31
8	कमीशन on chees supply	1.21	1.90	Nil	-1.90
9	किराये व्यय वाहन चैयरमैन	2.46	3.20	2.19	-1.01
10	किराया के वाहन संघ	3.76	2.44	3.87	+1.43
11	मिल्क वितरण खर्च	224.84	276.96	255.32	-21.64
12	प्रिटिग एवं स्टेशनरी	7.40	6.52	6.95	+0.43
	योग :–	1274.75	1466.05	1532.80	+66.75

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>ऑडिट रिपोर्ट</th><th>अनुपालना</th><th>अंकेक्षक टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>वर्ष में सेवा निवृति हुए कर्मचारियों को बकाया अवकाश के भुगतान तथा वेतन भत्तो में सामान्य बढोतरी इसके प्रमुख कारण रहे है।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>संस्थापन व्यय का ब्रिक्री से प्रतिशत :- संघ के संस्थापन व्यय तथा इसके बिक्री से प्रतिशत का गत तीन वर्षो का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :- (राशि लाखों में)
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>2013-14</th><th>2014-15</th><th>2015-16</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कुल बिक्री</td><td>13364.84</td><td>13755.48</td><td>13642.72</td></tr>
<tr><td>2</td><td>संस्थापन व्यय</td><td>1274.75</td><td>1466.05</td><td>1532.80</td></tr>
<tr><td>3</td><td>संस्थापन व्यय का ब्रिक्री से प्रतिशत</td><td>9.53%</td><td>10.66%</td><td>11.21%</td></tr>
</table>
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की गत वर्षो की तुलना में ब्रिक्री में 112.76 लाख रू0 की कमी हुई है तथा संस्थापन व्यय भी 66.75 लाख रू0 की वृद्धि हुई है। आडिट अवधि में संस्थापन व्यय के बिक्री से प्रतिशत में 0.55 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। इसमें कमी लाई जानी अपेक्षित है।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>39</td><td></td><td>39. वर्ष में अर्जित परन्तु प्राप्त नहीं की गई आय एवं भुगतान योग्य खर्चो का लाभ-हानि खाते में समायोजन कर लिया गया है अथवा नहीं।
ऑडिट अवधि के दौरान अर्जित एवं प्राप्त नहीं हुई आय एवं भुगतान योग्य खर्चो का समायोजन लाभ-हानि खाते में विधिवत कर लिया गया है। जिसमें पूर्व भुगतान के व्ययों की राशि 7,61,005/- रू. है। बकाया दात्यिवों की राशि 1,57,01,648.57/- रू. है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>40</td><td></td><td>40. फर्नीचर, मशीनरी, मकान, वाहन व डेड स्टॉक पर घिसावट काटी गई है अथवा नहीं। घिसावट की क्या परिधि है। अंकित करें। किस प्रतिशत की दर से घिसावट काटी गई है। मदवार सूची संलग्न करें।
ऑडिट अवधि के दौरान संस्था में आयकर अधिनियम, 1961 के अनुरूप मूल्य ह्रास का प्रावधान किया जाता है। मूल्य ह्रास की सूची रिपोर्ट के साथ संलग्न की जा रही है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>41</td><td></td><td>41. अन्य किसी पूंजीगत आय-व्यय का वर्ष की हानि लाभ खाते में समायोजन किया गया है। जिसमें लाभ प्रभावित हुआ है, विस्तृत टिप्पणी दीजियें।
ऑडिट अवधि के दौरान सामान्य रूप से पूंजीगत व्यय का लाभ-हानि खातों में समायोजन के संबंध में कोई प्रविष्टि प्राप्त नहीं हुई, जिससे लाभ प्रभावित होता हो। सैण्ड्री डटर्स की उक्त</td><td>अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		बकाया राशि 7.14 लाख हेतु सन्देहात्मक/बट्टा खाता कोष का प्रावधान नहीं किया गया है।		
42		42. व्यवस्थापन व्यय एवं आकस्मिक व्यय कुल कितनी राशि के हुये है। जो संस्था लाभ एवं बिक्री का कितना प्रतिशत है? यदि कुल खर्च सकल लाभ के 5 प्रतिशत से अधिक हुये है, तो इस संबंध में सुधारात्मक टिप्पणी अंकित करें। ऑडिट अवधि के दौरान संस्थापन व्यय के रूप में 1532.80 लाख रूपये का व्यय किया गया है। जो बिक्री का 11.21 प्रतिशत है। संस्थापन व्यय में गत वर्ष से 66.75 लाख रूपये की वृद्वि हुई है। ऑडिट अवधि में संस्थापन व्यय के ब्रिकी से प्रतिशत रूप से 0.55 प्रतिशत की वृद्वि हुई है, जिसमें कमी लाई जानी आपेक्षित है।	अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
43		43. (अ) संस्था द्वारा शुद्व लाभ कितना दर्शाया गया है। क्या प्रदर्शित शुद्व लाभ की गणना राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 69 में वर्णित सभी घटकों के पेटे प्रावधान करते हुए की गई है? यदि नहीं, तो नियम 69 के तहत गणना कर वास्तविक शुद्व लाभ की गणना कर परिणाम अंकित करें। यदि शुद्व लाभ 2 प्रतिशत से कम है, तो इसके कारण का विवेचन किजिये। वितरण योग्य लाभ कितना है, लाभ वितरण स्टेटमेन्ट संलग्न करें। लाभ हानि खाता :- ऑडिट अवधि में सस्था 101.77 लाख रू0 की शुद्व लाभ में रही है। सैण्ड्री डटर्स की बकाया राशि 7.14 लाख हेतु सन्देहात्मक/बट्टा खाता कोश प्रावधान किया जाना चाहिए जो किया हुआ नहीं है। संस्था गत तीन वर्षो से निरतर लाभ में चल रही है। गत आठ वर्षो से निरन्तर लाभ का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है। :-		

(राशि लाखो में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	शुद्व हानि/लाभ	संचित हानि
1	2008-2009	-619.55	-2900.68
2	2009-2010	-381.15	-3281.83
3	2010-2011	-396.39	-3678.22
4	2011-2012	+188.06	-3490.16

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी

5	2012-2013	+150.67	-3339.49
6	2013-2014	+70.27	-3269.22
7	2014-2015	+107.96	-3161.26
8	2015-16	+101.77	-3059.49

वर्ष 2015-2016 के अन्त तक संस्था की कुल संचित हानि 3059.49 लाख रू0 की हो चुकी है। परन्तु ऑडिट अवधि में संस्था ने 101.77 लाख का लाभ प्राप्त किया है, इसके निरन्तरता बनाये रखने के अथक प्रयास जारी रहने चाहिये। संस्था के लाभ में वृद्धि हेतु निम्न सूझाव पर कार्यवाही अपेक्षित है :-

अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी। | पूर्ति मान्य है।

1. संस्था के प्लांट की क्षमता 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन है। ऑडिट अवधि में प्रतिदिन औसत 79665 किलो प्रतिदिन दुग्ध ही संकलित हुआ है। दुग्ध के कम संकलन से प्लांन्ट व मशीनरी की क्षमता का 53 प्रतिशत (53.11) से भी कम उपयोग हो पा रहा है, जबकि इस पर होने वाले स्थायी व्यय यथावत् रहे है अथवा उनमें वृद्धि हुयी है। संघ को दुग्ध संकलन में वृद्धि की जानी चाहिये।

अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी। | पूर्ति मान्य है।

2. ऑडिट अवधि में कुल विक्रय किये गये दुग्ध का लगभग 28 प्रतिशत भाग ही सिटी सप्लाई में प्रयुक्त हुआ है। सिटी सप्लाई में दुग्ध बिक्री करना संध के लिये अधिक लाभदायक है तथा माल की राशि भी अग्रिम प्राप्त होती है अतः संध प्रबन्धन को सिटी सप्लाई में अधिकतम दुग्ध बिक्री करने हेतु कार्य योजना तैयार कर उसे कुशलतापूर्वक लागू करने के प्रयास करने चाहिये।

अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी। | पूर्ति मान्य है।

3. संस्था को दुग्ध संकलन के अनुपात में ही खर्चो पर नियंत्रण किया जाना चाहिये।

4. संघ का डेयरी संयत्र लगभग 31 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है तथा इसके आधुनिकरण की और बिल्कुल ध्यान नही दिया गया है इसके अभाव में सघ के उत्पादन की क्षमता व लागत प्रभावित हुई है। पुरानी तकनीक एवं मशीनरी के कारण संध की उत्पादन लागत भी अनावश्यक रुप से बढी है जिससे संघ को अपने व्यवसाय में वाछित लाभ नही हो रहा है।

अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी। | पूर्ति मान्य है।

5. संध के उत्पादन विभाग में प्रयुक्त होने वाले पैकिगं मैटीरियल व अन्य कैमिकल्स आदि की खपत बाबत अलग-अलग विभागवार रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जाता है, जो किया जाना चाहिए। संघ प्रबन्धन इस ओर ध्यान देकर विधिवत रिकार्ड संधारण करवायें।

अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी। | पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		(ब) यदि गत लाभ में किसी प्रकार का एप्रोप्रियेशन किया गया है तो टिप्पणी अंकित करें एवं गत अवितरित लाभ (गत लाभ) वितरण किया गया है या नहीं। गत लाभों में किसी प्रकार को एप्रोप्रियेशन नहीं किया गया है एवं गत वर्षो में कोई लाभांश वितरण नहीं किया गया है।	अंकेक्षक महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी है।	पूर्ति मान्य है।
		संतुलन चित्र :- 44. संघ की अधिकृत हिस्सा पूंजी कितनी है। वर्ष कि हिस्सा पूंजी में कितनी वृद्वि/कमी हुई है? क्या संतुलन चित्र में दर्शायी हिस्सा राशि का मिलान जनरल लेजर के योग से मिलता है। अगर संघ में राजकीय भागीदारी हो तो क्या सदस्यों का हिस्सा पूंजी निर्धारित अनुपात में है?	अंकेक्षक महोदय की हिस्सा पूंजी के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी की है। वित्तीय वर्ष 2010-11 तक की 3,38,300/- रू. एवं 2011-12 तक की 4,22,900/- रू. राशि के दुग्ध समितियों को हिस्सा प्रमाण पत्र वर्ष 2015-16 में जारी कर दिये गये है। फलस्वरूप हिस्सा पूंजी राशि बढ़कर 35.61 लाख रू. हो गयी है। समितियों द्वारा संघ की हिस्सा पूंजी में विनियोजन करने के लिए दुग्ध भुगतान में से कटौती करवायी जाती है। यह राशि सौ के गुणांक में हो जाने पर हिस्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। हिस्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपविधान अनुसार ही प्रक्रियागत होकर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यदपि दुग्ध संघ पांच वर्ष से पूर्व हानि में चल रहा था। जिसके मुख्य कारणों में राजस्थान	पूर्ति मान्य है। पूर्ति मान्य है।

हिस्सा पूंजी :- संघ की अधिकृत हिस्सा पूंजी 100.00 लाख रूपये है, जोकि 100.00 रुपये प्रति हिस्से की दर से एक लाख हिस्सों में विभाजित है। संघ की प्रदत हिस्सा पूंजी वर्ष 2015-16 के अन्त में 40.40 लाख रू0 है। गत वर्षो से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
01.	हिस्सा पूंजी राज्य सरकार	3.00	3.00	3.00
02.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां			
01.-	हिस्सा पूॅजी	28.00	28.00	35.61
02.-	हिस्सा राशि	01.79	01.79	01.79
	कुल योग :-	32.79	32.79	40.40

ऑडिट अवधि में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को संघ की सदस्यता प्रदान नहीं की गयी है। राज्य सरकार का हिस्सा विनियोजन रुपये 3.00 लाख रू. यथावत् रहा है। आडिट अवधि में दुग्ध समितियों की हिस्सा पूंजी व हिस्सा राशि में क्रमशः रु. 7.61 तथा रु. 000.00 की वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से की गयी अग्रिम हिस्सा राशि कटौति के रूप में 73.84 लाख रू. संघ में जमा हो चुके है। इस मद में कटोती की गयी राशि का संबधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के हिस्सों में समायोजन किया जाना अपेक्षित है। प्रस्तावित समितियों से की गई कटौती राशि का समायोजन दुग्ध खरीद मद से किया जाना संघ

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		हित में रहेगा। संघ की 31.03.2016 तक की संचित हानि 3059.49 लाख रुपये रही है। इस प्रकार संघ के हिस्सों का मूल्य पिछले वर्षो से ऋणात्मक रहा है। राज्य सरकार एवं प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की हिस्सा राशि ऋणात्मक हो गई है। परन्तु पिछले तीन वित्तीय वर्षो में लगाातार लाभ रहा तथा विगत वित्तीय वर्ष में 107.96 करोड़ का लाभ था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में 101.77 लाख का लाभ हुआ है। इस प्रकार संस्था लगातार पांच वर्षो में भी लाभ में है।	सरकार एवं आरसीडीएफ के द्वारा तय किये नीतिगत निर्णय है, जो दुग्ध संघ प्रबन्धन के नियंत्रण में नहीं है तथापि दुग्ध संघ को लगातार घाटे से उबारने के लिए उरमूल प्रबंधन के प्रयासों को वित्तीय वर्ष 2011-12 में सफलता मिली एवं संघ को 2011-12 में 188.05/- लाख रू., वर्ष 2012-13 में 150.00 लाख एवं वर्ष 2013-14 में 70.27 लाख रू. वर्ष 2014-15 में 107.96 लाख रू. एवं वर्ष 2015-16 में 101.77 लाख का शुद्व लाभ रहा है। दुग्ध संकलन में लगातार वृद्वि के प्रयास की सकारात्मकता रही है। पुराने दायित्वों का भी चुकारा किया गया है और किया जा रहा है। पुराने कार्यशील पूंजी ऋण एवं सैस तथा रिहवीटेशन एण्ड डवलपमेन्ट फण्ड ऋण की प्रतिमाह एक लाख रू. आरसीडीएफ लि. द्वारा तय किश्तों का भुगतान किया जा रहा है। विगत पांच वर्षो से लगातार संघ को लाभ हो रहा है। 2015-16 में 1,01,77,127.28 रू. शुद्व लाभ रहा है। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की हिस्सा राशि किसी भी प्रकार से असुरक्षित नहीं है।	

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>ऑडिट रिपोर्ट</th><th>अनुपालना</th><th>अंकेक्षक टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>संघ के आर्थिक हालातों में सुधार हुआ है के तथ्य को अंकेक्षक महोदय द्वारा स्वीकार किया गया है।</td><td></td></tr>
<tr><td>45</td><td></td><td>45. अ. वर्ष के अन्त में सुरक्षित एवं अन्य कोष क्या है। क्या इनका विनियोग विभागीय परिपत्रानुसार किया है। लेखा परीक्षा अवधि में कोषों में कमी/बेसी के परिणाम के संबंध में टिप्पणी अंकित करें।
कोष एवं निधिया :-
संस्था के कुल कोष 468.92 लाख रू0 के है तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है
(राशि लाखो में)
<table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>विवरण</th><th>31.03.2014</th><th>31.03.2015</th><th>31.03.2016</th></tr>
<tr><td>1</td><td>कैपिटल रिजर्व</td><td>022.24</td><td>022.24</td><td>022.24</td></tr>
<tr><td>2</td><td>रिजर्व फन्ड</td><td>355.79</td><td>355.79</td><td>355.79</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अन्य फन्ड</td><td>090.89</td><td>090.89</td><td>090.89</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>468.92</td><td>468.92</td><td>468.92</td></tr>
</table>
कोष व निधियों की राशि वर्ष 2002-03 से यथावत् है :-
1. कैपिटल रिजर्व :- इस मद में वास्तव में ग्रान्ट से मिली राशि से जो सम्पतियां बनायी गयी थी उन पर आंकलित घिसावट की राशि है।
2. रिजर्व फन्ड :- इस मद में ग्रान्टस व अन्य अनरिकन्साइन्ल्ड राशियां शामिल है।
1. अन्य फन्ड :- इस मद में 9.00 लाख रू. राज्य सरकार से प्राप्त मार्जिन मनी तथा 13.45 लाख रू. राज्य सरकार से ही आपरेशन फल्ड द्वितीय के अन्तर्गत प्राप्त कोष की राशि शामिल है। ऋण मद की राशि का पूर्ण विवरण ज्ञात कर कोष (ऋण) का चुकारा स्वीकृति की शर्तो अनुसार किया जाना अपेक्षित है। शेष राशि 68.45 लाख रू. 1995-96 से पूर्व की है जिसका विवरण संघ रिकार्ड में उपलब्ध नही है। इस राशि का पूर्ण विवरण संचालक मण्डल के समक्ष रखा जाकर उचित समायोजन का निर्णय करवाया जावे।</td><td>अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।

अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।

पूर्ति मान्य है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		कोष एवं निधिया :– संस्था के कुल कोष 468.92 लाख रू. के है तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है (राशि लाखो में)		

क्र.स.	विवरण	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
1	कैपिटल रिजर्व	022.24	022.24	022.24
2	रिजर्व फन्ड	355.79	355.79	355.79
3	अन्य फन्ड	090.89	090.89	090.89
	योग	468.92	468.92	468.92

		कोष व निधियों की राशि वर्ष 2002–03 से यथावत् है :– 3. कैपिटल रिजर्व :– इस मद में वास्तव में ग्रान्ट से मिली राशि से जो सम्पतियां बनायी गयी थी उन पर आंकलित घिसावट की राशि है। 4. रिजर्व फन्ड :– इस मद में ग्रान्टस व अन्य अनरिकन्साइन्ल्ड राशियां शामिल है।	अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		अन्य फन्ड :– इस मद में 9.00 लाख रू0 राज्य सरकार से प्राप्त मार्जिन मनी तथा 13.45 लाख रू0 राज्य सरकार से ही आपरेशन फल्ड द्वितीय के अन्तर्गत प्राप्त कोष की राशि शामिल है। ऋण मद की राशि का पूर्ण विवरण ज्ञात कर कोष (ऋण) का चुकारा स्वीकृति की शर्तो अनुसार किया जाना अपेक्षित है। शेष राशि 68.45 लाख रू0 1995–96 से पूर्व की है जिसका विवरण संध रिकार्ड में उपलब्ध नही है। इस राशि का पूर्ण विवरण संचालक मण्डल के समक्ष रखा जाकर उचित समायोजन का निर्णय करवाया जावे। ब. क्या संस्था द्वारा राज्य सरकार अथवा बैंक से कोई ऋण लिया गया है? यदि हां तो, कितना? राज्य सरकार अथवा बैंक से ऋण किस कार्य के लिये लिया गया है तथा उसका उपयोग उस कार्य में हुआ है जिसके लिए ऋण लिया गया है या नहीं। ऋण की अवधि क्या है और उसके भुगतान की किश्त क्या है? क्या संस्था द्वारा ऋण की किश्त समय पर चुकाई जाती है? यदि नही ंतो कितनी राशि अवधिपार है और कितने समय से वर्ष के अन्त में कुल बकाया कितना है? ऋण पर ब्याज की क्या दर है? क्या संस्था द्वारा ब्याज समय पर जमा कराया जाता है? यदि नही ंतो कितनी राशि अवधिपार है और कितने समय से?	अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		सहायता एवं अनुदान :– ऑडिट वर्ष के दौरान कोई सहायता एवं अनुदान राशि संस्था को प्राप्त होना नहीं पाया गया है। बाह्य ऋण :– संस्था पर बाह्य ऋण का गत वर्ष से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :–	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।

(राशि लाखो में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016
1	आरसीडीएफ रिहेबिलिटेशन फन्ड ऋण	235.00	223.00	211.00
2	आरसीडीएफ कार्यशीलपूॅजीऋण	1981.72	1969.72	1932.72
3	कार्यशीलपूॅजीऋण एक्सेस बैंक	200.00	000.00	000.00
4	कार्यशीलपूॅजीऋण HDFC बैंक (समितियों के माध्यम से)	000.00	800.00	000.00
	योग :–	2416.72	2992.72	2143.72

1.	आरसीडीएफ रिहेबिलिटेशन फन्ड ऋण – गत वर्षो से 12.00 लाख की कमी हुई है।	अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
2.	आरसीडीएफ कार्यशील पूंजी ऋण :– इस ऋण मद पर ऑडिट अवधि में कोई भी ब्याज नहीं दिया गया हैं परन्तु संघ HDFC Bank के ऋण पर रूपये 791907.43 का ब्याज दिया गया है। बाह्य ऋण मद में कुल 2143.72 लाख रू0 शेष रहा है।	अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
3.	आरसीडएफ रिहेबिलिटेशन फन्ड एवं आरसीडीएफ कार्यशीलपूजी ऋण की लेखो से पुष्टि हो रही है। उक्त लेखो के शेष मिलान के प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये है। HDFC Bank से कार्यशील पूॅजी ऋण 800.00 लाख रूपये वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया। आडिट अवधि में ब्याज 791907.43 लाख रु दिया गया। उक्त ऋण का पूर्ण चुकारा किया जा चुका है। स. अन्य संस्थाओं का कितना ऋण बकाया है। क्या उनकी पुष्टि करवा दी गई है। ऋण की अदायगी निर्धारित शर्तो के अनुसार समय पर ही रही है अथवा नहीं। टिप्पणी अंकित करें। उपरोक्त वर्णित ऋणों के अलावा किसी भी प्रकार ऋण संस्था द्वारा नहीं लिया गया है।	अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी। अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है। पूर्ति मान्य है।
	46. संस्था द्वारा सदस्य सहकारी समितियों, राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं को देय राशियां कितनी–कितनी		

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		है व कितने समय से बकाया है? अन्य देय की राशियां गत 31 मार्च को कितनी थी? वर्ष में कितनी घटत बढ़त हुई है? इस 31 मार्च को राशि कितनी है? क्या सदस्य सहकारी समिति से देय राशि की पुष्टि प्राप्त कर ली गई है? क्या कुछ राशियां ऐसी है जिसके मांगने वालों की सूची उपलब्ध नहीं है? यदि हां तो ऐसा क्यों? क्या वर्ष में सदस्य सहकारी समितियों की जमा राशि को संस्था द्वारा किसी अन्य जमा मद में परिवर्तित किया गया है? यदि हां तो, क्या उस सदस्य सहकारी समिति से इस बाबत सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है? विस्तृत टिप्पणी करें। ऑडिट अवधि में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को संघ की सदस्यता प्रदान नहीं की गयी है। राज्य सरकार का हिस्सा विनियोजन रुपये 3.00 लाख रू. यथावत् रहा है। आडिट अवधि में दुग्ध समितियों की हिस्सा पूंजी व हिस्सा राशि में क्रमशः रु. 7.61 तथा रु. 000.00 की वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से की गयी अग्रिम हिस्सा राशि कटौति के रूप में 73.84 लाख रू. संघ में जमा हो चुके है। इस मद में कटोती की गयी राशि का संबधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के हिस्सों में समायोजन किया जाना अपेक्षित है। पूर्ण विवरण बिन्दु संख्या 44 के अनुरूप है। संघ की 31.03.2016 तक की संचित हानि 3059.49 लाख रुपये रही है। इस प्रकार संघ के हिस्सों का मूल्य पिछले वर्षो से ऋणात्मक रहा है। राज्य सरकार एवं प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की हिस्सा राशि ऋणात्मक हो गई है। परन्तु पिछले तीन वित्तीय वर्षो में लगाातार लाभ रहा तथा विगत वित्तीय वर्ष में 107.96 करोड़ का लाभ था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में 101.77 लाख का लाभ हुआ है। इस प्रकार संस्था लगातार पांच वर्षो में भी लाभ में है।	अंकेक्षक महोदय की हिस्सा पूंजी के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी की है। वित्तीय वर्ष 2010-11 तक की 3,38,300/- रू. एवं 2011-12 तक की 4,22,900/- रू. राशि के दुग्ध समितियों को हिस्सा प्रमाण पत्र वर्ष 2015-16 में जारी कर दिये गये है। फलस्वरूप हिस्सा पूंजी राशि बढ़कर 35.61 लाख रू. हो गयी है। समितियों द्वारा संघ की हिस्सा पूंजी में विनियोजन करने के लिए दुग्ध भुगतान में से कटौती करवायी जाती है। यह राशि सौ के गुणांक में होजाने पर हिस्सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। हिस्सा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उपविधान अनुसार ही प्रक्रियागत होकर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यदपि दुग्ध संघ पांच वर्ष से पूर्व हानि में चल रहा था। जिसके मुख्य कारणों में राजस्थान सरकार एवं आरसीडीएफ के द्वारा तय किये नीतिगत निर्णय है, जो दुग्ध संघ प्रबन्धन के नियंत्रण में नहीं है तथापि दुग्ध संघ को लगातार घाटे से उबारने के लिए उरमूल प्रबंधन के प्रयासों को वित्तीय वर्ष 2011-12 में सफलता मिली एवं संघ को 2011-12 में 188.05/- लाख रू., वर्ष 2012-13 में 150.00 लाख एवं वर्ष 2013-14 में	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
			70.27 लाख रू. वर्ष 2014-15 में 107.96 लाख रू. एवं वर्ष 2015-16 में 101.77 लाख का शुद्व लाभ रहा है। दुग्ध संकलन में लगातार वृद्वि के प्रयास की सकारात्मकता रही है। पुराने दायित्वों का भी चुकारा किया गया है और किया जा रहा है। पुराने कार्यशील पूंजी ऋण एवं सैस तथा रिहवीटेशन एण्ड डवलपमेन्ट फण्ड ऋण की प्रतिमाह एक लाख रू. आरसीडीएफ लि. द्वारा तय किश्तों का भुगतान किया जा रहा है। विगत पांच वर्षो से लगातार संघ को लाभ हो रहा है। 2015-16 में 1,01,77,127.28 रू. शुद्व लाभ रहा है। प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की हिस्सा राशि किसी भी प्रकार से असुरक्षित नहीं है। संघ के आर्थिक हालातों में सुधार हुआ है के तथ्य को अंकेक्षक महोदय द्वारा स्वीकार किया गया है।	
47		47. लेखा परीक्षा अवधि में तथा गत वर्षो में जो अनुदान प्राप्त हुआ है वह किस-किस कार्य के लिये कितना-कितना प्राप्त हुआ है? इस संबंध में निम्न सूचना देते हुए टिप्पणी करें :- 1. अनुदान का उद्वेश्य 2. अनुदान उपयोग रकम 3. अनुपयोगी अनुदान की राशि व अन्य लेखा में समायोजन 4. प्रमाण-पत्र		पूर्ति मान्य है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>ऑडिट रिपोर्ट</th><th>अनुपालना</th><th>अंकेक्षक टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ऑडिट अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>48</td><td></td><td>48. विविध देनदारी कितनी है? क्या उनकी सूची उपलब्ध है? काफी समय से दर्शायी जाती रही देनदारी के संबंध में टिप्पणी अंकित करें।
सन्ड्री डेटर्स :-
वर्ष के अन्त में संस्था के सन्ड्री डेटर्स 425.95 लाख रू. के है। गत वर्ष की तुलना में सन्ड्री डेटर्स में 0.41 लाख रू. की वृद्वि आई है। सूची अनुसार प्रमुख बकाया निम्न प्रकार है।
(राशि लाखों में)
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों से बीमा योजना के</td><td>0.86</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आर सी डी एफ यूनियन</td><td>146.70</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों से मिल्कोस्टेशन के</td><td>32.67</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्राथमिक दुग्ध उत्पादक समितियों से</td><td>11.64</td></tr>
<tr><td>5</td><td>उरमूल इंटर यूनियन</td><td>0.44</td></tr>
<tr><td>6</td><td>ए एस सी डिपो (सभी)</td><td>189.19</td></tr>
<tr><td>7</td><td>चीफ वार्डन ई.सी.बी.</td><td>NIL</td></tr>
<tr><td>8</td><td>ए जी होस्पीटल</td><td>11.09</td></tr>
<tr><td>9</td><td>रिलायन्स फ्रेश</td><td>0.96</td></tr>
<tr><td>10</td><td>सादुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर</td><td>0.30</td></tr>
<tr><td>11</td><td>सैनी इन्टरप्राइजेज</td><td>3.12</td></tr>
<tr><td>12</td><td>यूनाईटेड जनरल एजेन्सी</td><td>0.36</td></tr>
<tr><td>13</td><td>सूरजसिंहपुरा दु.उ.स.सं.</td><td>0.30</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Rajasthan state Brev. Corp.</td><td>1.07</td></tr>
<tr><td>15</td><td>IOC Mathura</td><td>3.04</td></tr>
<tr><td></td><td>योग :-</td><td>401.68</td></tr>
</table>
</td><td>अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		समितियो से मिल्कोस्टेशन के अन्तर्गत प्रदर्शित लेनदारी में प्राथमिक दुग्ध समितियों को दिये गये मिल्कोस्टेशन की राशि है। कुल 101 एएमसीयू दुग्ध समितियों को दिये गये थे। एक एएमसीयू की लागत 125000.00 रू0 थी जिसमें से 62500.00 रू0 दुग्ध समिति से तथा शेष 62500.00 रू0 उरमूल/आरसीडीएफ स्तर से वहन की जानी थी । एएमसीयू की पूरी राशि समितियों के नावे लिख दी गयी है, जोकि उचित नही है। उरमूल/आरसीडीएफ के हिस्से का उचित समायोजन इस मद में किया जाकर संघ के अंतिम लेखों में दुरूस्ती की जानी अपेक्षित है।		
49		49. (अ) वर्ष के अन्त में कितनी रोकड़ हाथ में थी? क्या रोकड़ पोता निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया है। संस्था में वर्ष के अन्त में नगद कोई रोकड़ी राशि नहीं थी एवं संघ के विभिन्न बैको में 13 बचत व चालू खाते है जिनमें वर्ष के अन्त में 90.84 लाख रू0 जमा थे। सभी बैक खातो का मिलान कर बैक समाधान विवरण पत्र तैयार किये गये है। उक्त खातों के बैक मिलान प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये है। (ब) लेखा परीक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व रोकड़ पोता राशि का मिलान करें तथा मिलान कर परिणाम अंकित करें। रोकड़ बाकी में अपने हस्ताक्षर करें। फटे-पुराने नोट एवं प्रचलन से बाहर राशि के संबंध में टिप्पणी दें। समय-समय पर ध्यान में आये आक्षेपों की सूची भी देवें। संस्था की रोकड़ पोता का मिलान कर लिया गया एवं सही पायी गई।	अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी। अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है। पूर्ति मान्य है।
50		50. अ. क्या तिजौरी व केश इन ट्रांजिट का बीमा करवाया गया है। यदि नहीं, तो रोकड़ बाकी का मिलान करें। संस्था की तिजौरी एवं केश इन ट्रांजिट का बीमा संस्था द्वारा करवाया हुआ है। ब. संस्था के बैंकों में कितने खाते है? इन खातों में 31 मार्च को कितनी-कितनी राशि जमा शेष है? समस्त खातों का बैंक पास बुक से मिलान करें एवं उसका परिणाम लिखें। प्रत्येक बैंक खाते का समाधान विवरण पत्र संलग्न करें। क्या किसी प्रविष्टि को अनावश्यक रूप से अधिक समय के बाद जमा खर्च तो नहीं किया गया है? यदि हां तो उन पर टिप्पणी देवें। जिन बैंक खातों के समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं किये गये है, उन के संबंध में विस्तृत टिप्पणी देवें। बैंक खातों के समाधान विवरण पत्र तैयार नहीं करने के लिये कौन कार्मिक/अधिकारी जिम्मेदार है, उसके संबंध में टिप्पणी	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>ऑडिट रिपोर्ट</th><th>अनुपालना</th><th>अंकेक्षक टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>देवें। वर्ष में चालू खातों में कितनी-कितनी राशि अनावश्यक जमा रही है? उन पर संस्था को कितनी हानि हुई है व उसके लिये कौन जिम्मेदार है? दायित्व का निर्धारण करें।
संघ के विभिन्न बैको में 13 बचत व चालू खाते है जिनमें वर्ष के अन्त में 90.84 लाख रू0 जमा थे। सभी बैक खातो का मिलान कर बैक समाधान विवरण पत्र तैयार किये गये है। उक्त खातों के बैक मिलान प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये गये है।
स. सहकारी समितियों से गत 31 मार्च को कितनी राशि बकाया लेनदारी में थी, वर्ष में कितनी राशि प्राप्त हुई तथा 31 मार्च को कितनी बकाया रह गई? इन खातों में से कितने खाते ऐसे है, जिनमें क्रमशः 3 एवं 6 वर्षो से यथावत बकाया है, ऐसे खातों की समितियों के नाम एवं राशि सहित सूची संलग्न करें। क्या सभी समितियों से पुष्टिपत्र प्राप्त हो चुके है। यदि हां तो, उनका खातों से मिलान करें यदि कोई अन्तर हो तो टिप्पणी अंकित करें।
सेण्ड्री डेटर्स की राशि का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। कोष प्रावधान किया जाना अपेक्षित
<table><tr><th>विवरण</th><th>देनदार</th><th>प्रावधान</th></tr><tr><td>(1) 1 से 3 वर्ष</td><td>41614491.47</td><td>-</td></tr><tr><td>(2) 3 से 6 वर्ष (50 प्रतिशत)</td><td>532975.30</td><td>266487.65</td></tr><tr><td>(3) 6 वर्ष से अधिक(100 प्रतिशत)</td><td>447440.58</td><td>447440.58</td></tr><tr><td>योग-</td><td>42594907.55</td><td>713928.33</td></tr></table>सैण्ड्री डटर्स की उक्त बकाया राशि 7.14 लाख हेतु सन्देहात्मक/बट्टा खाता कोष प्रावधान नहीं किया गया है।
द. राजकीय विभागों से गत वर्ष की 31 मार्च को कितनी लेनदारी थी? वर्ष में कितनी राशि प्राप्त हुई है। इस 31 मार्च को कितनी राशि किस-किस विभाग में बकाया है? क्या सभी राजकीय विभागों से पुष्टि पत्र प्राप्त हो चुके है? यदि हां तो, उनका मिलान करें। यदि कोई त्रुटि हो तो लिखें। ऐसे विभागों की सूची बनाऐं जिन पर तीन वर्षो से अधिक समय की राशि बकाया है तथा लिमिटेशन एक्ट के तहत मुकदमा करने की अवधि निकल चुकी है? कानूनी कार्यवाही नहीं करने के लिए दायित्व किसका है, उसका उल्लेख करें।</td><td>अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।

अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।

पूर्ति मान्य है।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>ऑडिट रिपोर्ट</th><th>अनुपालना</th><th>अंकेक्षक टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>संस्था के बकाया देनदारों की सूची संलग्न है।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>51</td><td></td><td>51. क्या संस्था ने अपनी राशि का किन्ही अन्य संस्थाओं में विनियोजन कर रखा है। यदि हां, तो विनियोजित राशि के संबंध में निम्न विवरण देवें।
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>नाम संस्था जिसमें राशि को विनियोजित किया</th><th>संतुलन चित्र में दर्शायी गई राशि</th><th>विनियोजित राशि के प्रमाण पत्रों की प्राप्ति पर टिप्पणी</th><th>यदि मूल्यांकन किया गया हो तो अधिक/ कम मूल्यांकन की राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>कॉलम नं. 5 पर</th><th>विनियोजित राशि का मूल्यांकन कम किये जाने की स्थिति में कोष निर्माण पर टिप्पणी</th><th>यदि विनियोजन किश्तों के रूप में किया जाना हो तो चढ़ी हुई किश्तों की संख्या यदि कोई हो</th><th>बकाया ब्याज</th><th>अन्य विवरण</th></tr>
<tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr>
</table>
विनियोग :-
संस्था के विनियोग का गत तीन वर्षो से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :-
(राशि लाखो में)
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th>31.03.2014</th><th>31.03.2015</th><th>31.03.2016</th></tr>
<tr><td>1</td><td>प्रतिभूतियॉ</td><td>25.62</td><td>25.20</td><td>28.43</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बैंक सावधि जमाऐं</td><td>Nil</td><td>200.51</td><td>Nil</td></tr>
<tr><td>3</td><td>हिस्सा विनियोग</td><td>143.10</td><td>199.74</td><td>247.95</td></tr>
<tr><td></td><td>योग :-</td><td>168.72</td><td>425.45</td><td>276.38</td></tr>
</table>
ऑडिट अवधि में प्रतिभूतियो मे 149.07 लाख रू. की कमी हुई है, एवं सावधि जमाओ में Nil लाख रू. की वृद्वि हुई है। हिस्सा विनियोग में 48.21 लाख रूपये की वृद्धि हुई है। उक्य विनियोगो की ता.तारीख पुष्टि करवा ली गई है। विनियोगों में प्रतिभूतियों का पूर्ण विवरण संस्था के पास उपलब्ध है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।

पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>52</td><td></td><td>52. संस्था की सम्पति यथा-भवन, फर्नीचर एवं अन्य स्थायी सामान के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर</td><td></td><td></td></tr>
</table>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		टिप्पणी अंकित करें। अ. उक्त सभी प्रकार की स्थायी सम्पत्ति का वर्षान्त में मूल्य, मूल्य के आकलन की विधि, सम्पत्ति के उपयोगी/अनुपयोगी होने की स्थिति। ब. क्या स्थायी सम्पत्तियों का मूल्यांकन आयकर नियमों के तहत किया गया है? यदि नहीं, तो मूल्यांकन में उत्पन्न विचलन के संबंध में विस्तृत टिप्पणी अंकित करें। स. लेखा परीक्षा अवधि में क्रय की गई स्थायी सम्पत्ति का पूर्ण ब्यौरा यथा–आईटम का स्पेसिफिकेशन, क्रय दिनांक, मूल्य, प्राप्त सक्षम स्वीकृति आदेश आदि अंकित करें। द. क्या लेखा परीक्षा अवधि में क्रय की गई स्थायी सम्पत्ति के संबंध में लागू क्रय प्रक्रिया का पूर्ण पालना किया गया है? यदि नहीं, तो विस्तृत टिप्पणी देवें। स्थायी सम्पतियॉ :– संस्था की स्थाई सम्पतियों का गत वर्षो से तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है। (राशि लाखो में) 31.03.2014 31.03.2015 31.03.2016 262.10 273.08 254.59 ऑडिट अवधि में स्थायी सम्पतियो में कमी/वृद्वि निम्न प्रकार हुई है (राशि लाखो में)	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।

क्र. सं.	विवरण	01.04.15 को शेष	वर्ष में खरीद	वर्ष में बिक्री	घिसावट	31.3.2016 को शेष
1	उरमूल कॉलोनी	13.02	NIL	NIL	0.65	12.37
2	बिल्डिगं	111.07	0.04	NIL	11.11	100.00
3	फनीचर्स व फिक्चर्स	5.47	0.24	NIL	0.56	5.15
4	व्हीकल्स	2.49	NIL	0.65	0.28	1.57
5	प्लॉन्ट वमशीनरी	135.13	16.12	NIL	21.62	129.62
6	कम्प्यूटर व कम्प्यूटररुम	1.39	1.23	NIL	1.27	1.35
7	अन्य	4.52	NIL	NIL	NIL	4.52
	योग	273.09	17.63	0.65	35.49	254.58

ऑडिट अवधि में कुल 17.64 लाख रू0 का स्थायी सामान खरीदा गया है। जो उपरोक्त सूची

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		अनुसार है एवं मूल्य ह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत किया गया है।		
53		53. अ. कर्मचारियों पर 31 मार्च को कितनी राशि बकाया थी? वर्ष में लेनदेन के बाद 31 मार्च को कितनी राशि रह गई? क्या कर्मचारियों की सूची में ऐसे कर्मचारी भी शामिल है, जो संस्था को छोड़ चुके है अथवा उनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी सूची बनाए। इस प्रकार की बकाया का दायित्व किसका है? वर्ष में कर्मचारियों को अग्रिम देते समय नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं। जिन कर्मचारियों पर 31 मार्च को अत्यधिक बकाया है उनके खातों की जांच करें। यदि राशि का दुरूपयोग हुआ है, तो मय ब्याज वसूली के लिये लिखें।		
54		54. ऋण व अग्रिम मद में वर्ष के अन्त में 19.72 लाख रू0 की लेनदारी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।

(राशि लाखो में)

	विवरण	राशि
1.	कर्मचारियों में हाउसिंग तथा व्हीकललोन व अन्य अग्रिम	+04.52
2.	पूर्व कर्मचारियों को नगद एवं अग्रिम	NIL
3.	टीडीएस जमा	+14.19
4.	सेल्सटैक्स (अपील अन्तर्गत जमा)	+00.77
5.	वैट के अन्तर्गत	+00.24
	कुल योग :-	19.72

ब. क्या किसी कर्मचारी एवं अधिकारी (वर्तमान एवं भूतपूर्व) के विरूद्ध गबन का मामला बन रहा है? यदि हां तो सूचना निम्न तालिका में दे :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	राशि	मामला कब से चल रहा है	क्या कार्यवाही की जा रही है	विवरण

		ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		ऑडिट अवधि के दौरान पाया गया कि गत वर्षो के ऑडिट रिपोर्ट अनुरूप धारा 55 एवं धारा 57 के काफी मामले संस्थागत विकास अधिकारी के यहां लम्बित पड़े है। जिनके निष्पादन के उपरान्त उक्त तथ्यों के संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी। स. सोसाइटी की ओर से या सोसाइटी के विरूद्ध न्यायालयों में चल रहे वादों (केसेज) की स्थिति	अंकेक्षण महोदय की तथात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>पैरा सं.</th><th>ऑडिट रिपोर्ट</th><th>अनुपालना</th><th>अंकेक्षक टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>की जांच करें। वर्ष में निर्णित मामलों में संस्था को हुई हानि के संबंध में संस्था के पक्ष की की जांच कर टिप्पणी अंकित करें।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>न्यायालयो में विचाराधीन प्रकरण :- न्यायालय में लंबित प्रकरणाो का विवरण निम्न प्रकार है :-
<table>
<tr><th>क्र</th><th>नाम न्यायालय</th><th>लंबित प्रकरणो की सं.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>राज. हाई कोर्ट</td><td>26</td></tr>
<tr><td>2</td><td>श्रम न्यायालय</td><td>36</td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्राधिकारी अन्तर्गत वेतन भुगतान अधिनियम</td><td>12</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मुंसिफ व जिला न्यायालय</td><td>15</td></tr>
<tr><td>5</td><td>औद्योगिक अभिकरण</td><td>00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>नेगोशिएबल इस्ट्रूमेंट एक्ट</td><td>18</td></tr>
<tr><td>7</td><td>पंच निर्णायक</td><td>01</td></tr>
<tr><td>8</td><td>MACT</td><td>01</td></tr>
<tr><td>9</td><td>मान्य सर्वोच्च न्यायालय</td><td>01</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>110</td></tr>
</table>
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि संस्था की प्रबन्धकीय व्यवस्था में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता नही है इस कारण कर्मचारियो को वेतन प्रकरण, चयनित वेतनमान प्रकरण, पदोन्नति जैसे प्रकरणों में न्यायालयों की शरण में जाना पड़ा है। अतः संस्था प्रबन्धन को इस संबंध में समीक्षा कर प्रकरण निस्तारित करने का प्रयास किये जाने का सुझाव है।</td><td>अंकेक्षण महोदय की तथात्मक व सुझावात्मक टिप्पणी।</td><td>पूर्ति मान्य है।</td></tr>
<tr><td>55</td><td></td><td>55. क्या गबन या दुरूपयोग की राशि सम्पत्ति में दशायी गई? क्या इसके विरूद्व आकस्मिक दायित्व देय है? आकस्मिक दायित्व देयता की स्थिति में इसको निर्मित करने/नहीं करने के संबंध में टिप्पणी अंकित करें। ऑडिट अवधि के दौरान पाया गया कि गत वर्षो के ऑडिट रिपोर्ट अनुरूप धारा 55 एवं धारा 57 के काफी मामले संस्थागत विकास अधिकारी के यहां लम्बित पड़े है। जिनके निष्पादन के उपरान्त उक्त तथ्यों के संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी।</td><td>संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ, जयपुर ने पत्र क्रमांक : 46414 दिनांक 16.01.17 के द्वारा अवगत करवाया है कि वर्ष 2014-15 के ऑडिट आक्षेप पत्र भाग "ब" (पृ.सं. 42) में धारा-57 के वर्ष 2008-09 के 02 एवं</td><td>धारा 55 की कार्यवाही न होने तक पूर्ति मान्य नहीं है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
			वर्ष 2010-11 का 01 कुल तीन प्रकरण शेष दर्शाये गये है। संस्थागत विकास अधिकारी के निर्णय क्रमांक : 26068-70 दिनांक 23.09.2014 द्वारा ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2010-11 के प्रकरण का निस्तारण तथा आदेश क्रमांक : 9802-07 दिनांक 10.06.2015 द्वारा ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2008-09 का ऑडिट पैरा संख्या 19 (भाग "अ") का निस्तारण किया जा चुका है। ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-15 के भाग-अ के पैरा 22 व भाग-ब के क्रम में केवल एक प्रकरण विचाराधीन है। धारा 55 के प्रकरणों पर संस्थागत विकास अधिकारी स्तर पर कार्यवाही अपेक्षित है।	
56		56. क्या संस्था का समस्त रिकार्ड पूर्ण एवं सुव्यवस्थित है? अपूर्ण रजिस्टर एवं संचालित नहीं किये गये रजिस्टरों के संबंध में विवरण अंकित करें। संस्था द्वारा लेखों का रिकार्ड कम्प्युटर में एवं प्रिन्टिग लेजर के माध्यम से रखा जाता है। जो सुव्यवस्थित है। संस्था के रजिस्टर एवं वाऊचर पूर्ण सुरक्षित व संधारित है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
57		(57-अ) क्या संस्था की ओर से गत वर्षो की लेखा परीक्षा फीस बकाया चल रही है? यदि हां, तो बकाया लेखा परीक्षा फीस जमा कराने के संबंध में विस्तृत टिप्पणी अंकित करें। ऑडिट अवधि के दौरान लेखा परीक्षा फीस बकाया का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। (57-ब) यदि संस्था की वर्तमान लेखा परीक्षा चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट फर्म द्वारा संपादित की गई है तो लेखा परीक्षा हेतु कितनी पारिश्रमिक राशि नियत की गई है तथा निर्णय का स्तर क्या रहा है? इस संबंध में जारी आदेश की प्रति संलग्न करें। ऑडिट अवधि के दौरान वैधानिक अंकेक्षण लेखा परीक्षा चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट फर्म द्वारा संपादित	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी। अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है। पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		की गई, जिनका कार्य पूर्ण संतोषप्रद था। जिनको पारिश्रमिक स्वरूप 17,365+ सर्विस टैक्स का भुगतान किया गया। कार्य आदेश की प्रति गत वर्ष के ऑडिट रिपोर्ट के साथ संलग्न पायी गई थी। यदि संस्था की वर्तमान लेखा परीक्षा विभागीय लेखा परीक्षक द्वारा संपादित की गई है तो वर्तमान वर्ष के लिये टर्न ओवर के आधार पर लेखा परीक्षा फीस को निर्धारित कर मांग पत्र जारी करें तथा संस्था स्तर से लेखा परीक्षा फीस राज्यकोष में जमा करवाते हुए जमा फीस के चालान की एक प्रति लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न करें। ऑडिट अवधि के दौरान वैधानिक अंकेक्षण लेखा परीक्षा चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट फर्म द्वारा संपादित की गई, जिनका कार्य पूर्ण संतोषप्रद था। जिनको पारिश्रमिक स्वरूप 17,365+ सर्विस टैक्स है। उपरोक्त : आर्थिक स्थिति एवं अनुपात विशलेषण पर टिप्पणी अंकित करें। (प्रपत्र संलग्न है।) आर्थिक स्थिति एवं अनुपात विश्लेषण ऑडिट रिपोर्ट के साथ प्रपत्र संलग्न है।	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
58		59.1. निर्धारित स्तर के अनुसार संघ का वर्गीकरण किसी श्रेणी में होना चाहियें स्टेटमेन्ट संलग्न है।		
		2. विशेष विवरण :- अ. लागत लेखाकंन व लागत मूल्य निर्धारण :- 1. उरमूल, बीकानेर एक उत्पादक एवं व्यापारिक संस्था है तथा इसमें लागत लेखाकंन व उत्पादों की लागत के आकलन व मूल्यांकन की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। अतः पुनः विषेश सुझाव है कि संघ प्रबन्धन, संघ में स्थापित प्रत्येक प्लान्ट व मशीनरी बाबत, लागत लेखांकन से संबधित सूचनाओं का संधारण, संकलन व विश्लेषण आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता प्राप्त हो सके। इस कार्य के लिये, संघ में उपलब्ध स्टाफ में से ही, लागत लेखाकंन की जानकारी रखने वाले लेखाकर्मी को विशेषकर इस कार्य हेतु लगाया जाना भी संघ हित में उचित होगा। 2. संघ अधिकारियों को विधि विरूद्ध तरीके से दी गयी तदर्थ पदोन्नति का प्रकरण :- विगत ऑडिट वर्ष में राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम की धारा 57 अन्तर्गत निम्नांकित कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये गई पदोन्नति के परिलाभ एवं वेतन वृद्वि के द्वारा भुगतान की गई राशि (सूचना संस्था द्वारा जो उपलब्ध करवाई गई है) के अनुरूप रूपये 6,65,201/- कि वसूली कर्मचारियों/अधिकारियों से की जाने की अनुशंषा की गयी थी, जो निम्नप्रकार है -	अंकेक्षण महोदय की सामान्य टिप्पणी। अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है। पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी

क्र.सं.	नाम	पद	अवधि	पदोन्नति के कारण भुगतान की राशि
1	आर.के. व्यास	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जून, 10	44687.00
2	के.के. सोनी	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जुलाई, 15	26780.00
3	हरध्यान सिंह मेहरा	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जुलाई, 15	96641.00
4	दलपत सिंह राठौड़	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जुलाई, 15	28724.00
5	भरत सिंह चौधरी	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से जुलाई, 15	453513.00
6	एम.एम. व्यास	उप-प्रबंधक (तदर्थ)	सितम्बर, 08 से अगस्त, 09	14856.00
	कुल योग			665201.00

कार्यवाही संस्थागत विकास अधिकारी, आरसीडीएफ, जयपुर के स्तर से की जानी अपेक्षित है।

धारा 57 की कार्यवाही न होने तक पूर्ति मान्य नहीं है।

गत ऑडिट वर्ष में धारा 57 के तहत रूपये 6,65,201/- रूपये वसूली कर्मचारियों/अधिकारियों से की जाने थी, जो अभी तक नहीं हुई है। जिसकी वसूली अतिशीघ्र सुनिश्चित की जावें।

3. संघ के उत्पादों की लाभदायकता का विवरण :-

संघ स्तर पर अलग से इस बाबत कोई रिकॉर्ड संघारित नहीं है। इस बाबत संघ प्रबन्धन को सुझाव दिया जाता है कि उत्पादवार लाभदायकता का विवरण प्रतिवर्ष लेखे तैयार करते समय संधारित करने की परिपाटी शुरू की जावे।

अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।

पूर्ति मान्य है।

4. स्थाई सम्पतियो के भौतिक सत्यापन बाबत् :-

संस्था के भण्डार में स्थाई सम्पतियो के लिए संधारित रिकार्ड में विभिन्न स्थाई सम्पतियो को विभिन्न अनुभागो/विभिन्न अधिकारियो/कर्मचारियो व अन्य व्यक्तियो के नाम से जारी किया बताया हुआ है। संस्था वित्तीय वर्ष के समापन पर भौतिक सत्यापन तो करवा रही है परन्तु जो स्थाई सम्पति विभिन्न अनुभागो/विभिन्न अधिकारियो/कर्मचारियो व अन्य व्यक्तियो के नाम जारी की गई है, का भौतिक सत्यापन नही करवा रही है, जिसके फलस्वरूप स्थाई सम्पति वास्तविक रूप से है या नही की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः प्रबन्धन को यह सूझाव दिया जाता है कि वो अपने स्तर पर भौतिक सत्यापन करवाये जाने हेतु एक कमेटी बनाये जो सम्पूर्ण तथ्यो की जाँच कर, रिपोर्ट प्रस्तुत करे और प्रबन्धन इस पर उचित कार्यवाही अतिशीघ्र करे।

अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।

पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		5. विशेष विवरण एवं सुझाव :-		
		1. संघ का डेयरी संयत्र :- संघ का संयत्र लगभग 30 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है इसके आधुनीकीकरण की और बिल्कुल ध्यान नही दिया गया है इसके अभाव में सघ के उत्पादन की क्षमता प्रभावित हुई है तथा पुरानी तकनीक एवं मशीनरी के कारण उत्पादन लागत भी अनावश्यक रुप से बढी है जिससे संघ को अपने व्यवसाय में वाछित लाभ नही हो रहा है चूँकि स्थायी खर्चे लगातार बढ रहे है और इसी अनुपात में वर्ष दर वर्ष सघ में सकल हॉनि भी बढती जा रही थी। डेयरी सयंत्र के आधुनीकीकरण के लिए बीकानेर जिले में संचालित सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (बी.ए.डी.पी.) से धन प्राप्त करने की कार्यविधी तैयार की जावे। इस योजना में आवंटित अधिकांश धनराशि अनुदान मद की होती है।	अंकेक्षण महोदय की सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		2. संस्था द्वारा प्रतिदिन 79665 किलो/लीटर दुग्ध संकलन किया जाता है। यह संकलन प्लान्ट की क्षमता का 53.11 प्रतिशत है। इसे बढाने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए। जबकि संस्था की स्थाई व्यय यथावत रहते है एवं समय-समय पर उनमें वृद्वि होती है। इसको ध्यान में रखते हुए संस्था की दूध संकलन में वृद्वि किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। संघ प्रबंधन को चाहिए कि कृषक संगठन एवं तकनीकी आदान गतिविधियों को बढ़ावा दे। संघ के कृषक संगठन विभाग की गतिविधि प्रभावी नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि समितियों का प्रभावी पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं निर्देशन कार्य हो। तकनीकी आदान गतिविधियां पूर्ण रूप से ठप प्राय है। संघ को पूर्व की भांति पशु-चिकित्सा, मोबाईल चिकित्सा, मिनरल मिक्सचर इत्यादि की प्रभावी व्यवस्था अपने संसाधनों के अनुरूप की जाने की आवश्यकता है एवं जिससे संस्था के तमाम सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित समितियां एवं उनके परिवार पूर्णरूप से जुड़ सके, जिससे संस्था के दुग्ध संकलन में पर्याप्त मात्रा में वृद्वि हो सके।	अंकेक्षण महोदय की सुझावा अनुसार समुचित एवं प्रभावी कदम उठाने के लिए प्रभारी पीएण्डआई को पत्र क्रमांक : SP01 दिनांक 1.3.17 के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।	पूर्ति मान्य है।
		3. उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., बीकानेर की अधिकांश अचल सम्पतियां आर.सी.डी.एफ. में गिरवी रखी गई है ।	अंकेक्षक महोदय द्वारा सामान्य टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		4. पैकिंग मैटेरियल कि खपत का उत्पादन एवं बिक्री के आंकडों का विभागवार अलग से मिलान की कोई पुख्ता व्यवस्था नही है ।	पैकिंग मैटेरियल के खपत एवं उपभोग का रिकार्ड संघ के संयंत्र में स्थित भण्डार में संधारित किया जाता है।	पूर्ति मान्य है।

क्र.सं.	पैरा सं.	ऑडिट रिपोर्ट	अनुपालना	अंकेक्षक टिप्पणी
		5. संघ की सदस्य समितियां का अधिनियम अन्तर्गत पंजीयन होता है। संघ का दायित्व है कि समितियों द्वारा अधिनियम की अनुपालना की जा रही है या नहीं का प्रभावी प्रबंधन देखे। संघ प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समितियो द्वारा सदस्यों का संकलन किया गया दूध उपविधि के बाहर जाकर किसी प्राईवेट बाईन्डर को तो नहीं बिक्री किया जा रहा है, यदि ऐसा हो रहा है, तो संघ प्रबंधन सक्षम सहकारी अधिकारी को पूर्ण स्थिति का लिखित में विवरण उपलब्ध करवाकर समिति प्रबंधन के विरूद्व अधिनियम अनुसार कार्यवाही करवाये।	अंकेक्षक महोदय द्वारा सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		6. संस्था को विभिन्न खर्चो (लेबर खर्च, चीज कमीशन व्यय और वाहन खर्च) पर कठोर नियंत्रण रखना अपेक्षित है।	अंकेक्षक महोदय द्वारा सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		7. प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के खातो का मिलान काफी लम्बे अर्से से नहीं करवाया जा रहा है। संघ को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।	अंकेक्षक महोदय द्वारा सुझावात्मक टिप्पणी।	पूर्ति मान्य है।
		8. संस्था के गत ऑडिट रिपोर्ट का निरीक्षण करने पाया गया कि धारा 55 एवं धारा 57 से संबंधित काफी मामले लम्बित चल रहे है। जिनका अतिशीघ्र निस्तारण कर यदि वसूली की जानी है, तो वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जैसे-जैसे संस्था का समय निकल रहा है, वैसे-वैसे संस्था के कार्मिक सेवानिवृत हो रहे है, जिससे वसूली में देरी एवं संस्था को ब्याज, मूल राशि हानि की संभावनाऐं बढ़ रही है। इस हेतु कठोर कारगर कदम उठाया जाना चाहिए।	संस्थापन विकास अधिकारी, आरसीडीएफ, जयपुर के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।	धारा 55 व 57 की कार्यवाही न होने तक पूर्ति मान्य नहीं है।

हस्ताक्षर
एस. बी. बागड़ी एण्ड कम्पनी, बीकानेर

हस्ताक्षर
उप प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

हस्ताक्षर
प्रबन्ध संचालक